रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, बुधवार, 20 जनवरी, 1993/पौष 30, शक 1914
No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 1993/PAUSA 30, SAKA 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1993

अधिसूचना

मुम्बई, 20 जनवरी, 1993

फा. सं. एल. ई. से बी/IV/93—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के साथ पठित उस की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1993 है ।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये विनियम निम्नलिखित के सिवाय सभी पारस्परिक निधियों को लागू होंगे—

(i) अनन्य रूप से मुद्रा बाजार लिखतों में विनिधानों के लिए स्थापित मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि; और

(ii) भारत के बाहर स्थापित पारस्परिक निधियां ।

2. परिभाषाएं—इन विनियमों में—

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) "विज्ञापन" के अन्तर्गत विज्ञापन का प्रत्येक रूप है चाहे किसी प्रकाशन में, सूचनाओं, साइनों लेबलों के संप्रदर्शन द्वारा या परिपत्रों, सूचीपत्रों या अन्य दस्तावेजों के माध्यम द्वारा, चित्रों या फोटो फिल्मों के प्रदर्शन द्वारा, ध्वनि प्रसारण या टेलिविजन के रूप में या किसी अन्य रीति से हो ;

(ग) "सहयुक्त" के अन्तर्गत ऐसी कंपनी है—

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ, यथास्थिति, आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करती है ;

(ii) जिसकी बाबत आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ महत्वपूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करता है ;

(iii) जिसकी बाबत महत्वपूर्ण नियंत्रण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग

(क) व्यक्तियों द्वारा, या

(ख) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के नातेदारों द्वारा चाहे स्वयं उनके द्वारा या उनके साथ मिलकर जो आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का प्रयोग करते हैं ; या

(iv) जिसमें आस्ति प्रबंध कंपनी का कोई निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी, निदेशक अधिकारी या कर्मचारी है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए "नातेदार" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 में यथापरिभाषित व्यक्ति है ;

(घ) "आस्ति प्रबंध कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत तथा बोर्ड द्वारा विनियम 20 के अधीन अनुमोदित कंपनी है ;

(ङ) "विवृत्त स्कीम" से विवृत स्कीम से भिन्न पारस्परिक निधि की कोई स्कीम अभिप्रेत है जहां स्कीम की अवधि विनिर्दिष्ट है ;

(च) "अभिरक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रतिभूतियों को सुरक्षा में रखने का क्रियाकलाप करता है या प्रतिभूतियों के परिदान करने के लिए ग्राहकों की ओर से किसी समाशोधन पद्धति में भाग लेता है ;

(छ) "जांच अधिकारी" से बोर्ड का कोई ऐसा अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव है और जो इन विनियमों के अध्याय 7 के अधीन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है ;

(ज) "प्ररूप" से अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(झ) "निरीक्षण प्राधिकारी" से इन विनियमों के अध्याय 7 के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं ;

(ञ) "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 4) में है;

(ट) "मुद्रा बाजार लिखतों" के अन्तर्गत वाणिज्यिक पत्र, व्यापारिक हुंडियां, राज हुंडियां, जमा प्रमाणपत्र, आवधिक बिल हैं ;

(ठ) "विवृत्त स्कीम" से पारस्परिक निधि की ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जो किन्हीं मोचनीय यूनिटों की विक्रय के लिए प्रस्थापना करती है या जिसमें कोई मोचनीय यूनिट बकाया है और जो यूनिटों के मोचन या पुनर्क्रय के लिए कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं करती है;

(ड) "पारस्परिक निधि" से इन विनियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में विनिधान करने के लिए जनता को एक या अन्य स्कीमों के अधीन यूनिटों के विक्रय के माध्यम से न्यासियों द्वारा धन जुटाने के लिए किसी प्रायोजक द्वारा न्यास के रूप में स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(ढ) "नातेदार" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 6 में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ण) "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" का वह अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में है ;

(त) "महत्वपूर्ण नियंत्रण" से अभिप्रेत होगा—

(i) कंपनी की दशा में जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की संहति ऐसी कंपनी की 3% से अन्यून मतदान शक्ति वाले शेयरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है, उनका नियंत्रण करती है या उन्हें धारण करती है ;

(ii) दो कंपनियों के बीच, यदि वही व्यक्ति या व्यक्तियों की संहति प्रत्येक कंपनी की 3% से अन्यून मतदान शक्ति वाले शेयरों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी है, उनका नियंत्रण करती है या उन्हें धारण करती है ;

(थ) "प्रायोजक" से कोई ऐसा निगमित निकाय अभिप्रेत है जो अकेले या किसी अन्य निगमित निकाय के साथ मिलकर कार्य करके औपचारिकताएं आरम्भ और पूरी कर पारस्परिक निधि की स्थापना करता है ।

(द) "न्यासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पारस्परिक निधि की संपत्ति यूनिटधारकों के फायदे के लिए न्यास में रखता है;

(घ) "यूनिट" से पारस्परिक निधि स्कीम में विनिधानकर्ताओं का हित अभिप्रेत है जिसमें प्रत्येक यूनिट स्कीम की आस्तियों में एक अविभाजित शेयर दर्शित करता है ;

(न) "यूनिटधारक" से पारस्परिक निधि की स्कीम में सहभागी अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इस विनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

अध्याय 2

पारस्परिक निधि का रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—(1) प्रत्येक पारस्परिक निधि बोर्ड के पास विनियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रायोजक द्वारा प्ररूप 'क' में किया जाएगा और बोर्ड को संबोधित होगा ।

(3) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व प्रायोजक द्वारा किया गया कोई आवेदन, जिसमें ऐसी या उनके यथा निकटतम विशिष्टियां हैं जो प्ररूप में वर्णित हैं, उप-विनियम (1) के अनुसरण में किया गया आवेदन माना जाएगा और उसके संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जाएगी :

परंतु इस उप-विनियम के अधीन किए गए आवेदन की बाबत संदेय फीस वही होगी जो विनियम 4 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट है ।

4. आवेदन के साथ आवेदन फीस लगेगी—(1) विनियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस लगेगी जो बोर्ड के नाम में मुंबई में संदेय चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में होगी ।

5. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप होगा—विनियम 3 के उप-विनियम (3) के अधीन उपबंध के अधीन रहते हुए कोई आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है और प्ररूप में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है, नामंजूर किया जाएगा ।

परंतु यह किसी ऐसे आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व ऐसी त्रुटियों को, जो बोर्ड द्वारा उपदर्शित की जाएं, विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने के लिए अवसर दिया जाएगा ।

6. जानकारी, स्पष्टीकरण देना और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व—(1) विनियम 8 के अधीन रहते हुए बोर्ड ऐसी और जानकारी या स्पष्टीकरण देने के लिए जो रजिस्ट्रीकरण के लिए जाने के लिए आवश्यक समझी जाए, प्रायोजक से अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) प्रायोजक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष हाजिर होगा ।

7. आवेदन पर विचार—(1) बोर्ड, आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर और ऐसी और जानकारी अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जो अपेक्षित हो, यथासंभव शीघ्र किंतु सभी जानकारी की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अपश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विनिश्चय करेगा ।

8. रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तें—रजिस्ट्रीकरण देने के प्रयोजन के लिए बोर्ड उन सभी बातों को, जो पारस्परिक निधि के कामकाज के दक्ष और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सुसंगत हैं, और विशेष रूप से निम्नलिखित, को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) प्रायोजक का सुयोग्य अभिलेख रहा है और उसके पास वित्तीय सेवाओं के सुसंगत क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, वृत्तिक सक्षमता, वित्तीय स्वस्थता और अपने सभी कारबार संव्यवहारों में औचित्य और ईमानदारी की साधारण ख्याति है;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सुयोग्य अभिलेख" से प्रायोजक की शुद्ध मिल्कियत, लाभांश संदाय क्षमता और लाभप्रदता अभिप्रेत होगी ।

(ख) पारस्परिक निधि न्यास के रूप में है और न्यास विलेख बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है;

(ग) आस्ति प्रबंध कंपनी जिसके पास बोर्ड का अनुमोदन है पारस्परिक निधि के कामकाज का प्रबंध करने और ऐसी निधि की स्कीमों का प्रवर्तन करने के लिए नियुक्त की गई है;

(घ) प्रायोजक कम से कम 40% का आस्ति प्रबंध कंपनी की शुद्ध मिल्कियत में अभिदाय करता है;

(ङ) प्रायोजक या पारस्परिक निधि द्वारा नियोजित किए जाने के लिए उसका कोई निदेशक या मुख्य अभिकारी जिसके पास उसके कारबार के कामकाज का प्रबंध है किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध है या किसी समय सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित है या किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया है ।

9. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना—(1) बोर्ड अपना यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और अपेक्षित

सभी विशिष्टियां दे दी गई हैं और कि पारस्परिक निधि रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र है, पारस्परिक निधि को—

(क) बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में अनुसूची-2 में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण फीस की प्राप्ति,

(ख) विनियम 12 में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों, के अधीन रहते हुए रजिस्टर कर सकेगा।

(2) जहां कोई पारस्परिक निधि रजिस्ट्रीकरण दिए जाने के लिए पात्र है। वहां बोर्ड प्ररूप ख में एक प्रमाण-पत्र देगा।

10. वार्षिक फीस का संदाय—(1) इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पारस्परिक निधि रजिस्ट्रीकरण के वर्ष के ठीक बाद के वर्ष से अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक फीस का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संदाय करेगी।

(2) वार्षिक फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से पूर्व विनियम 4 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से बोर्ड को भेजी जाएगी।

11. वार्षिक फीस का संदाय करने में असफलता—(1) जहां कोई पारस्परिक निधि विनियम 10 के उप-विनियम (2) में विहित वार्षिक फीस भेजने में असफल रहेगी वहां बोर्ड पारस्परिक निधि को कोई नई स्कीमें चलाने से तब तक प्रतिषिद्ध कर सकेगा जब तक फीस नहीं भेजी जाती है।

(2) इन विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड विलंब के लिए कारणों से अपना समाधान होने पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसी फीस संबंधित है, प्रारंभ से दो मास के भीतर किसी समय वार्षिक फीस का संदाय करने के लिए प्रायोजक को अनुज्ञा दे सकेगा।

12. रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें—विनियम 8 के अधीन पारस्परिक निधि को दिया गया रजिस्ट्रीकरण पारस्परिक निधि के निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के पूरा करने के अधीन होगा :

(क) इन विनियमों के उपबंधों का पालन करना;

(ख) जैसे ही प्रायोजक या न्यासियों को यह ज्ञात होता है कि बोर्ड को पहले दी गई कोई जानकारी या विशिष्टियां भ्रामक या उनका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है, बोर्ड को तुरंत जानकारी देना;

(ग) बोर्ड को पहले प्रस्तुत की गई जानकारी या विशिष्टियों में, जो उसके द्वारा दिए गए रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तुरंत जानकारी देना;

(घ) प्रायोजक, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी और अभिरक्षक विनियमों के उपबंधों का पालन करते हैं;

(ङ) निरीक्षण के अनुक्रम में निदेशकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की परीक्षा की अनुज्ञा देना और इस निमित्त पूर्ण सहयोग देना;

(च) लेखा बहियां, दस्तावेज और ऐसी अन्य जानकारी पेश करने का करार करना जो निरीक्षण के अनुक्रम में बोर्ड द्वारा मांगी जाए।

13. प्रक्रिया जहां रजिस्ट्रीकरण मंजूर नहीं किया जाता है—

(1) जहां आवेदक विनियम 8 में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां बोर्ड आवेदन को नामंजूर करेगा।

(2) आवेदन को नामंजूर करने के विनिश्चय की सूचना आवेदक को लिखित रूप में दी जाएगी जिसमें वे आधार कथित होंगे जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है।

(3) आवेदक जो उप-विनियम (2) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को उसके विनिश्चय पर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकेगा।

(4) बोर्ड, आवेदन में किए गए निवेदनों के प्रकाश में और जब कभी आवश्यक हो, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर देने के पश्चात् अपना विनिश्चय आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा।

अध्याय 3

पारस्परिक निधि का गठन और प्रबंध

14. पारस्परिक निधि के गठन की रीति—प्रत्येक पारस्परिक निधि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के उपबन्धों के अनुसार न्यास के रूप में गठित की जाएगी।

15. न्यासी की नियुक्ति—(1) कोई कम्पनी पारस्परिक निधि का प्रबंध करने के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त की जाएगी :

परन्तु बोर्ड विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यासी बोर्ड को पारस्परिक निधि के न्यासियों के रूप में नियुक्ति की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) न्यासी की नियुक्ति अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगी, अर्थात् :—

(क) न्यासी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वित्तीय सेवाओं में अनुभव है और किसी आर्थिक अपराध के दोषी नहीं पाए जाते हैं;

(ख) न्यासियों के नाम बोर्ड को भेजे जाएंगे;

(ग) न्यासियों की नियुक्ति में कोई परिवर्तन बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए होगा;

(घ) कोई भी न्यासी तब तक सेवा निवृत्त नहीं होगा जब तक कि निवृत्त होने वाले न्यासी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता है;

(ङ) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पारस्परिक निधि में न्यासी या किसी न्यासी कम्पनी का निदेशक नहीं होगा;

(च) कम से कम पचास प्रतिशत न्यासी स्वतंत्र सदस्य होंगे और कोई भी ऐसा न्यासी प्रायोजक का सहयुक्त या समनुषंगी नहीं होगा;

(छ) आस्ति प्रबंध कम्पनी, उसका कोई निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी किसी पारस्परिक निधि के न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

16. न्यास विलेख रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.—(1) न्यास की लिखत भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत विलेख के रूप में होगी जो ऐसी लिखत में नामित न्यासियों के पक्ष में प्रायोजक द्वारा निष्पादित किया जाएगा और जिसमें अनुसूची 3 में वर्णित खंड और ऐसे खंड होंगे जो यूनिटधारक के हित की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक हैं।

(2) किसी भी न्यास विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं होगा जिसका प्रभाव—

(i) किसी पारस्परिक निधि या यूनिटधारकों के संबंध में न्यास की बाध्यताओं और दायित्वों को कम करना है; या

(ii) उनकी उपेक्षा या करणत्रुटियों या लोपों द्वारा यूनिट धारकों को हुई हानि या नुकसान के लिए न्यासियों या आस्ति प्रबंध कंपनी की क्षतिपूर्ति करना है।

(3) न्यास विलेख पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के मुख्य स्थान पर जनता के किसी सदस्य के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा और यदि ऐसी मांग की जाए तो उसकी एक प्रति नाममात्र फीस के जो पारस्परिक निधि द्वारा विनिश्चित की जाए, संदाय पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

17. न्यासियों की बाध्यताएं.—(1) न्यासियों को आस्ति प्रबंध कंपनी से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा जो न्यास की संक्रिया से संबंधित कामकाज के प्रबंध के लिये सुसंगत है और वे आस्ति प्रबंध कंपनी से कालिक रिपोर्ट भी मांग सकेंगे।

(2) जहां न्यासियों के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पारस्परिक निधि के कारबार का संचालन इन विनियमों के अनुरूप नहीं है वहां वे ऐसे उपचारी उपाय तुरंत करेंगे जो स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक है और पूर्ण विशिष्टियों सहित उनकी जानकारी बोर्ड को देते रहेंगे।

(3) न्यासी ऐसे कदम उठाएंगे जो सभी दस्तावेजों को, जो अर्जनों, व्ययनों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है, निष्पादित कराने के लिये आवश्यक है और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा किये गये संव्यवहार उचित रूप से किये गये हैं और इन विनियमों के अनुसार है।

(4) न्यासी यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि आस्ति प्रबंध कंपनी इन विनियमों का पालन करती है।

(5) न्यासी आस्ति प्रबंध कंपनी के साथ करार करेगा जिसमें अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट खंड और ऐसे अन्य खंड होंगे जो पारस्परिक निधि की निधियों के विनिधान के प्रयोजन के लिये आवश्यक है और ऐसा करार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(6) न्यासी संबंधित स्कीमों की संपत्ति के लिये जिम्मेदायी और उसके अभिरक्षक होंगे और उसे इन विनियमों और न्यास की लिखतों के अनुसार यूनिटधारकों के फायदे के लिये न्यास में धारण करेंगे।

(7) न्यासी यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएंगे कि पारस्परिक निधियों से संबंधित संव्यवहार न्यास विलेख और इन विनियमों की अनुसूची 3 के उपबन्धों के अनुसार हैं।

(8) न्यासी पारस्परिक निधि को संदत्त की जाने के लिये शोध्य किसी आय की और इन विनियमों और न्यास विलेख के अनुसार किसी स्कीम के यूनिट धारकों के लिये पारस्परिक निधि में प्राप्त किसी आय की भी संगणना के लिये उत्तरदायी होंगे।

(9) न्यासी आस्ति प्रबंध कंपनी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और पारस्परिक निधि के क्रियाकलाप पर छह मासीय रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे।

(10) न्यासी यूनिटधारकों का अधिवेशन तब बुलाएंगे—

(क) जब कभी यूनिटधारकों के हित में बोर्ड द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए;

(ख) किसी स्कीम के या एक साथ सभी स्कीमों के यूनिटधारकों के तीन चौथाई की अध्यपेक्षा पर; या

(ग) जब न्यासियों की बहुसंख्या पारसमापन या यूनिटों का समयपूर्व मोचन या किसी स्कीम का उपांतरण करने का विनिश्चय करती है ।

18. आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा आवेदन:—(1) आस्ति प्रबंध कंपनी के अनुमोदन के लिए आवेदन प्ररूप क में किया जाएगा ।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद उप-विनियम (1) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन सहित बोर्ड को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(3) विनियम 5, 6 और 7 के उपबंध इस विनियम के अधीन किए गए आवेदन को यथाणक्य उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को लागू होते हैं ।

19. आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति:—(1) प्रायोजक या यदि न्यास विलेख द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए तो न्यासी आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति करेगा जो पारस्परिक निधि के कामकाज का प्रबंध करने और ऐसी निधि की स्कीमों का प्रवर्तन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति न्यासियों की बहुसंख्या द्वारा या स्कीम के यूनिट धारकों के पचहत्तर प्रतिशत द्वारा समाप्त की जा सकती है ।

(3) आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति में कोई परिवर्तन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए होगा ।

20. आस्ति प्रबंध कंपनी का अनुमोदन:—आस्ति प्रबंध कंपनी का अनुमोदन दिए जाने के लिए बोर्ड उन सभी बातों को, जो आस्ति प्रबंध कंपनी कामकाज के दक्ष और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सुसंगत हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) कि विद्यमान आस्ति प्रबंध कंपनी का सुयोग्य अभिलेख, संव्यवहारों में साधारण ख्याति और औचित्य रहा है ;

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजन के लिए सुयोग्य अभिलेख से आस्ति प्रबंध कंपनी की शुद्ध मिल्कियत, लाभांश संदाय क्षमता और लाभप्रदता अभिप्रेत होगी ।

(ख) आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक उच्च ख्याति और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं जिनके पास पोर्टफोलियो प्रबंध, वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय प्रशासन जैसे सुसंगत क्षेत्रों में कम से कम 5 वर्ष का वृत्तिक अनुभव है ;

(घ) आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक बोर्ड में पचास प्रतिशत निदेशक ऐसे हैं जो प्रायोजक या उसके समनुषंगियों या न्यासियों में से किसी के सहयुक्त या उनमें किसी भी रीति से संबद्ध नहीं हैं ;

(घ) आस्ति प्रबंध कंपनी का अध्यक्ष न्यासी कंपनी का निदेशक या न्यास बोर्ड का न्यासी नहीं होना चाहिए ;

(ङ) आस्ति प्रबंध कंपनी की कम से कम पांच करोड़ रुपए की शुद्ध मिल्कियत होगी ।

स्पष्टीकरण:—इस खंड के प्रयोजनों के लिए शुद्ध मिल्कियत से कंपनी की समादत पूंजी और खुली आरक्षितियां अभिप्रेत हैं ।

21. आस्ति प्रबंध कंपनी के अनुमोदन के निबंधन और शर्तें:—विनियम 20 के अधीन आस्ति प्रबंध कंपनी के अनुमोदन का दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात्:—

(क) आस्ति प्रबंध कंपनी के पास पारस्परिक निधियों के प्रबंध में पर्याप्त अनुभव वाले विशेषज्ञ हैं ;

(ख) आस्ति प्रबंध कंपनी का कोई निदेशक किसी अन्य आस्ति प्रबंध कंपनी में निदेशक या किसी पारस्परिक निधि में न्यासी का पद धारण नहीं करेगा;

(ग) आस्ति प्रबंध कंपनी पहले दी गई जानकारी या विशिष्टियों में, जो उसके द्वारा दिए गए अनुमोदन से संबंधित हैं, किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की बोर्ड को तुरंत जानकारी देगी;

(घ) आस्ति प्रबंध कंपनी के प्रबंधतंत्र में कोई भी परिवर्तन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा;

(ङ) आस्ति प्रबंध कंपनी इन विनियमों का पालन करने का वचनबद्ध करती है ।

22. प्रक्रिया जहां अनुमोदन नहीं दिया जाता है:—(1) जहां अनुमोदन दिए जाने के लिए विनियम 18 के अधीन आवेदन विनियम 20 में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां बोर्ड आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(2) आवेदन को नामंजूर करने के आदेश की सूचना आवेदक को लिखित रूप में दी जायेगी जिसमें वे आधार कथित होंगे जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है ।

(3) वह आस्ति प्रबंध कंपनी जो उप-विनियम (1) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर बोर्ड को उसके विनिश्चय पर पुनःविचार के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(4) बोर्ड उपविनियम (3) के अधीन आवेदन में किए गए निवेदनों के प्रकाश में और जब कभी आवश्यक हो व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर देने के पश्चात् अपना विनिश्चय आवेदक को लिखित रूप में सूचित करेगा ।

23. आस्ति प्रबंध कंपनी के कारबार के क्रियाकलाप पर निर्बंधन । कोई भी आस्ति प्रबंध कंपनी :—

(क) किसी पारस्परिक निधि के न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगी ;

(ख) निवेश सेवा परामर्श, वाणिज्यिक आधार पर अनुसंधान के आदान-प्रदान जैसे क्रियाकलाप के सिवाए किसी अन्य कारबार-क्रियाकलाप का जिम्मा तब नहीं लेगी जब कोई ऐसा क्रियाकलाप पारस्परिक निधि के क्रियाकलाप के विरोध में नहीं है,

(ग) किसी अन्य पारस्परिक निधि के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के रूप में कार्य नहीं करेगी;

(घ) आस्ति प्रबंध कंपनी के किसी निदेशक को किसी न्यास में न्यासी का पद धारण करने या किसी अन्य आस्ति प्रबंध कंपनी में निदेशक के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा नहीं देगी ।

24. आस्ति प्रबंध कम्पनी और उसकी बाध्यताएं.—(1) आस्ति प्रबंध कंपनी सभी युक्तियुक्त कदम उठाएगी और सभी सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी स्कीम से संबंधित निधियों का विनिधान इन विनियमों और न्यास विलेख के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है ।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी अपने कर्मचारियों या ऐसे व्यक्तियों की, जिनकी सेवाएं उस कंपनी द्वारा अभिप्राप्त की गई हैं, कारण-त्रुटियों और लोपों के लिए उत्तरदायी होगी ।

(3) आस्ति प्रबंध कंपनी न्यासी को अपने क्रियाकलाप और इन विनियमों के पालन पर तिमाही रिपोर्टें 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को प्रस्तुत करेगी ।

(4) आस्ति प्रबंध कंपनी से अपने सभी व्यय की पूर्ति और :—

(क) कार्यालय स्थान, कार्मिक जिसके अंतर्गत सुरक्षा विश्लेषक और पोर्टफोलियो प्रबंधक हैं;

(ख) विनियामक पालन और रिपोर्ट करने की सेवाओं;

(ग) निधि की प्रास्पेक्टस, वार्षिक और कालिक रिपोर्टों और अन्य विनिधान संसूचनाओं;

(घ) विज्ञापन और अन्य विक्रय सामग्री;

(ङ) लेखा सेवाओं और आय विवरणियों को तैयार करने; और

(च) बीमा रक्षण और अन्य सेवाओं के लिए उपबन्ध करने की प्रत्याशा की जाएगी ।

(5) पारस्परिक निधि के न्यासी आस्ति प्रबंध कंपनी से लिखित रूप में युक्तियुक्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किसी समय आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे :

परन्तु यह कि नियुक्ति की समाप्ति तभी प्रभावी होगी जब पारस्परिक निधि के न्यासियों ने नियुक्ति की समाप्ति स्वीकार कर ली है और अपना विनिश्चय आस्ति प्रबंध कंपनी को लिखित रूप में सूचित कर दिया है ।

(6) किसी संविदा या करार में किसी बात के होते हुए भी आस्ति प्रबंध कंपनी या उसके निदेशक या अधिकारी ऐसी स्थिति या पद धारण करते हुए अपनी करण-त्रुटियों या लोपों के लिए पारस्परिक निधि के प्रति किसी सिविल दायित्व से मुक्त नहीं होंगे ।

25. अभिरक्षक सेवाएं.—पारस्परिक निधि का एक अभिरक्षक होगा जो आस्ति प्रबंध कंपनी से किसी भी प्रकार सहयुक्त नहीं है ।

26. अभिरक्षक का अनुमोदन.—(1) अभिरक्षक रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप क में आवेदन करेगा ।

(2) विनियम 5, 6 और 7 के उपबन्ध इस विनियम के उप-विनियम (1) के अधीन किये गए आवेदन को यथाशक्य लागू होंगे ।

(3) अभिरक्षक का अनुमोदन दिये जाने के लिए बोर्ड सभी बातों का जो अभिरक्षक के कामकाज के दक्ष और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सुसंगत हैं और विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) वर्तमान अभिरक्षक का सुयोग्य अभिलेख, साधारण विनियमन और संव्यवहारों में औचित्य हैं :

(ख) स्वयं आवेदक और उसके कर्मचारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अभिरक्षक सेवाएं देने में अनुभव है;

(ग) आवेदक के पास अभिरक्षक सेवाएं देने के लिए अवसंरचना, कार्यालय स्थान और कार्मिक है;

(घ) आवेदक या निदेशक या भागीदार किसी आर्थिक अपराध के दोषी नहीं पाए जाते हैं ;

(ङ) आवेदक किसी पारस्परिक निधि का प्रायोजक या न्यासी नहीं है ।

(4) अभिरक्षक को अनुमोदन का दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:

(क) अभिरक्षक या उसके निदेशक, भागीदार किसी आस्ति प्रबंध कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयुक्त या संबद्ध नहीं होंगे ।

(ख) अभिरक्षक किसी पारस्परिक कंपनी के प्रायोजक या न्यासी के रूप में कार्य नहीं करेगा;

(ग) अभिरक्षक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना एक से अधिक पारस्परिक निधि के अभिरक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

अध्याय 4

पारस्परिक निधियों की स्कीमें

27. स्कीमों की घोषणा के लिए प्रक्रिया (1) आस्ति प्रबंध कंपनी की कोई भी स्कीम तब तक घोषित नहीं की जाएगी जब तक ऐसी स्कीम न्यासियों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन स्कीम के अनुमोदन पर विचार करने के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी स्कीम की विशिष्टियां, प्रास्पेक्टस, प्रस्थापना पत्र और उससे सुसंगत सामग्री बोर्ड को प्रारूप रूप में भेजेगी।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर विचार करने पर बोर्ड प्रस्तावित स्कीम में आस्ति प्रबंध कंपनी से ऐसे उपांतरण करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) उप-विनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी आस्ति प्रबंध कंपनी स्कीम की घोषणा कर सकेगी यदि उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त नहीं होते हैं।

28. प्रचार सामग्री की अंतर्वस्तु (1) प्रत्येक स्कीम की बाबत प्रस्थापना पत्र और अन्य प्रचार सामग्री अनुसूची 5 के उपबन्धों के अनुरूप होगी :

परन्तु कोई प्रस्थापना पत्र या विवरणिका या कोई विज्ञापन सामग्री तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती।

(2) प्रत्येक स्कीम के लिए विपणन और प्रचार सामग्री से, प्रत्येक स्कीम के विनिधान उद्देश्य, विनिधानों के मूल्यांकन की रीति और आवर्तन, विक्रयों, क्रयों के आवर्तन की वास्तविक रीति और अन्य ब्यौरे जो विनिधानकर्ताओं के संरक्षण के लिये बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए, समुचित रूप से प्रकट होंगे।

29. भ्रामक कथन प्रस्थापना पत्र या विवरणिका में विज्ञापन किसी भी प्रकार से भ्रामक नहीं होगा या उसमें कोई ऐसे कथन या राय नहीं होंगी जो असत्य या मिथ्या हैं।

30. स्कीमों का सूचीबद्ध किया जाना संवृत्त स्कीमों के यूनिटों के सूचीबद्ध किए जाने के लिए आवेदन, बोर्ड से स्कीम के लिए अनुमोदन की प्राप्ति पर, स्टाक एक्सचेंज को तुरंत किया जायेगा।

31. जुटाई जाने वाली न्यूनतम रकम (1) प्रत्येक संवृत्त और आवृत्त स्कीम की बाबत जुटाई जाने वाली न्यूनतम रकमें क्रमशः बीस करोड़ और पचास करोड़ रुपए होंगी :

परंतु ऐसी रकम के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी जो पारस्परिक निधि आवृत्त स्कीम के अधीन संग्रहीत करें :

32. स्कीम खुली रखी जाएगी कोई भी पारस्परिक निधि संवृत्त स्कीम को पैंतालीस दिन से अधिक के लिए खुली नहीं रख सकेगी :

परन्तु संवृत्त स्कीम की बाबत विनियम 31 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम रकम अभिदाय सूची के खुलने से पैंतालीस दिन के भीतर संग्रहीत की जायेगी।

33. प्रतिदाय (1) न्यासी और आस्ति प्रबंध कंपनी विनिधानकर्ताओं को संग्रहीत संपूर्ण रकम का प्रतिदाय करने के लिए दायी होंगे यदि वह विनियम 31 में निर्दिष्ट न्यूनतम रकम या लक्ष्यित रकम का साठ प्रतिशत संग्रहीत करने में असफल रहती है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रतिदेय कोई भी रकम रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा और जो "पाने वाले के खाते में" अंकित होगी तुरंत किन्तु हर हालत में अभिदाय सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह के अपश्चात् लौटाई जाएगी।

(3) ऊपर नियत अवधि के भीतर रकमों का प्रतिदाय करने में असफलता की दशा में पारस्परिक निधि आवेदकों को अभिदाय सूची के बंद होने की तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति पर पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने के लिये दायी होगी।

34. यूनिट प्रमाणपत्र किसी विनिधानकर्ता को जो यूनिटों के क्रय के लिए आवेदन करता है और जिसका आवेदन नामंजूर नहीं किया गया है यथा संभव शीघ्र किन्तु संवृत्त स्कीम की दशा में अभिदाय सूची के बंद होने की तारीख से दस सप्ताह के अपश्चात् और आवृत्त स्कीम की दशा में छह सप्ताह के अपश्चात् एक प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा जिसमें उसको आबंटित यूनिटों की संख्या निर्दिष्ट होगी।

35. अंतरण 1 जब तक स्कीम के अधीन अन्यथा निबंधित या प्रतिषिद्ध न किया जाए यूनिट प्रमाणपत्र पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा अबाध रूप से अंतरणीय होगा।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी सुसंगत यूनिट प्रमाणपत्रों सहित अंतरण की लिखत के जमा करने पर अंतरण को रजिस्टर करेगी और यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण की सुसंगत लिखत सहित यूनिट प्रमाणपत्र के जमा करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अंतरिती को लौटा देगी।

36. परिसमापन—(1) किसी आवृत स्कीम का परिसमापन तब कर दिया जायेगा यदि पुनर्क्रयों के पश्चात् बकाया यूनिटों की कुल संख्या किसी भी समय मूल रूप से निर्गमित यूनिटों की संख्या पचास प्रतिशत से कम हो जाती है।

(2) किसी पारस्परिक निधि की संवृत स्कीम का परिसमापन:—

(क) उस स्कीम द्वारा स्कीम की अवधि के लिए नियत समय-अवधि की, यदि कोई हो, समाप्ति पर किया जा सकेगा; या

(ख) किसी घटना के घटित होने पर किया जा सकेगा जो न्यासियों की राय में स्कीम के परिसमापन की अपेक्षा करती है; या

(ग) तब किया जायेगा यदि किसी स्कीम के अधिकतर प्रतिशत यूनिटधारक यह संकल्प पारित करते हैं कि स्कीम का परिसमापन कर दिया जाए; या

(घ) तब किया जाएगा यदि बोर्ड यूनिटधारकों के हित में ऐसा निदेश देता है।

(3) जहां स्कीम का परिसमापन उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के अनुसरण में किया जाना है वहां न्यासी स्कीम के परिसमापन में परिणत होने वाली परिस्थितियों की सूचना :—

(क) बोर्ड को देंगे; और

(ख) दो दैनिक समाचारपत्र में देंगे जिनका संपूर्ण भारत में परिचालन है और देशी भाषा के एक ऐसे समाचारपत्र में भी देंगे जो उस स्थान में परिचालित है जहां पारस्परिक निधि स्थापित है।

37. परिसमापन का प्रभाव.—परिसमापन के विज्ञापन की तारीख से ही, यथास्थिति, न्यासी या आस्ति प्रबंध कंपनी :—

(क) कोई कारबार क्रियाकलाप करना बंद कर देंगे;

(ख) स्कीम में यूनिटों का सृजन और रद्दकरण करना बंद कर देंगे;

(ग) स्कीम में यूनिटों का निर्गमन और मोचन करना बंद कर देंगे।

38. परिसमापन की प्रक्रिया और रीति.—(1) न्यासी स्कीम के परिसमापन के लिए कदम उठाने के लिए न्यासियों या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए विचार करने और अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले यूनिटधारकों के साधारण बहुमत द्वारा आवश्यक संकल्प पारित करने के लिए यूनिटधारकों का अधिवेशन बुलाएगा।

2. (क) उप-विनियम (1) के अधीन प्राधिकृत न्यासी या व्यक्ति संबंधित स्कीम की आस्तियों का व्ययन उस स्कीम के यूनिटधारकों के सर्वोत्तम हित में करेगा।

(ख) ऊपर खंड (क) के अनुसरण के लिए गए विक्रय के आगमों का उपयोग प्रथमत: ऐसे दायित्वों के निर्वहन के लिए किया जाएगा जो स्कीम के अधीन उचित रूप से शोध्य हैं और ऐसे परिसमापन से संबद्ध व्यय की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त उपबन्ध करने के पश्चात् अनिशेष का, यूनिटधारकों को स्कीम की आस्तियों में उस तारीख को, जब परिसमापन के लिए विनिश्चय किया गया था, उनके अपने-अपने हित के अनुपात में संदाय किया जाएगा।

(3) परिसमापन के पूरा हो जाने पर न्यासी, बोर्ड और यूनिटधारकों को परिसमापन पर रिपोर्ट भेजेगा जिसमें परिसमापन में परिणत होने वाली परिस्थितियों, परिसमापन के पूर्व निधि की आस्तियों के व्ययन के लिए उठाए गए कदमों, परिसमापन के लिए निधि के व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों और निधि के लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र जैसी विशिष्टियां होंगी।

(4) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी अर्ध-वार्षिक रिपोर्टों और वार्षिक रिपोर्टों के प्रकटनों की बाबत इन विनियमों के उपबन्धों का लागू होना जारी रखेगा।

39. स्कीम का परिसमापन.—विनियम 38 के उप-विनियम (3) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि स्कीम के परिसमापन के लिए सभी उपाय पूरे कर लिए गए हैं तो स्कीम अस्तित्व-हीन हो जाएगा।

अध्याय 5

विनिधान उद्देश्य और मूल्यांकन नीतियां

40. विनिधान उद्देश्य.—(1) किसी पारस्परिक निधि की स्कीम के अधीन संग्रहीत धनराशियां केवल अंतरणीय प्रतिभूतियों में चाहे मुद्रा बाजार में या पूंजी बाजार में या प्राइवेट रूप से रखे गए डिबेंचरों या प्रतिभूत ऋणों में विनिहित की जाएंगी।

41. विनिधान निर्बंधन.—विनियम 40 के अनुसरण में किए जाने वाले कोई विनिधान अनुसूची 6 में वर्णित विनिधान निर्बंधन के अधीन रहते हुए किए जाएंगे।

42. विकल्प व्यापार.—किसी पारस्परिक निधि का किसी भी रीति से उपयोग विकल्प व्यापार में या संदत्तियां विक्रय या अग्रनयन संव्यवहारों में नहीं किया जाएगा।

43. विनिधानों के मूल्यांकन की रीति.—(1) प्रत्येक पारस्परिक निधि प्रत्येक स्कीम की बाबत बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिधानों के मूल्यांकन की रीति उपदर्शित करेगी।

(2) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनिधानों का मूल्य, जो बाजारों में सूचीबद्ध नहीं हैं, न्यासियों द्वारा कालिकत: पुनर्विलोकन किया जाएगा और

लेखा परीक्षकों द्वारा उन पर पारस्परिक निधि की वार्षिक रिपोर्ट में टीका-टिप्पणी की जाएगी।

44. उन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन जिनका व्यापार नहीं किया गया है.—जहां विनिधान मूल्यांकन की तारीख के पूर्व सूचीबद्ध हैं किन्तु एक मास की अवधि के बीच उनका व्यापार नहीं किया गया है वहां आस्ति प्रबंध कम्पनी उसका वास्तविक रूप से वसूली योग्य मूल्य दर्शित करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए उचित और स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी कि मूल्यांकन की रीति न्यासियों द्वारा अनुमोदित की जाएगी और लेखा-परीक्षकों द्वारा उस पर निधि की वार्षिक रिपोर्ट में टीका-टिप्पणी की जाएगी।

45. शुद्ध आस्ति मूल्य की संगणना.—(1) प्रत्येक पारस्परिक निधि अपनी प्रत्येक स्कीम के लिए शुद्ध आस्ति मूल्य (शु आ मू) की संगणना करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूत्र का अनुसरण करेगी।

(2) शुद्ध आस्ति मूल्य की संगणना की जाएगी और वह—

(क) आवृत्त स्कीमों की बाबत एक मास, और

(ख) संवृत्त स्कीमों की बाबत तीन मास, से अनधिक के अंतरालों पर कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

46. यूनिटों का कीमत-निर्धारण.—(1) स्कीम में उस कीमत का भी, जिस पर यूनिटों के लिए अभिदाय किया जा सकेगा या स्कीम में स्वतंत्र भागियों को उनका विक्रय किया जा सकेगा और उस कीमत का जिस पर ऐसे यूनिटों का पारस्परिक निधि द्वारा किसी समय पुनर्क्रय किया जा सकेगा, उपबन्ध किया जा सकेगा।

(2) पारस्परिक निधि यूनिटों की विक्रय और पुनर्क्रय कीमत का सप्ताह में से कम कम एक बार ऐसी रीति से कालिक प्रकाशन करेगी जिससे जानकारी सभी संबंधित विनिधानकर्ताओं को उपलब्ध हो जाए।

(3) किसी स्कीम में यूनिटों की क्रय-कीमत और विक्रय कीमत का अवधारण करते समय पारस्परिक निधि यह सुनिश्चित करेगी कि इन दो कीमतों में अंतर विक्रय कीमत के सात प्रतिशत से अधिक नहीं है।

अध्याय 6

पारस्परिक निधि की साधारण बाध्यताएं

47. समुचित लेखा बहियां और अभिलेख आदि बनाए रखना.—(1) उप-विनियम (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक पारस्परिक निधि प्रत्येक स्कीम के लिए समुचित लेखा बहियां, अभिलेख और दस्तावेज रखेगी और उन्हें बनाए रखेगी :

परन्तु लेखा बहियां ऐसी होनी चाहिएं जिनसे पारस्परिक निधि के संव्यवहार स्पष्ट हों और उसकी वित्तीय स्थिति किसी भी समय प्रकट हो और विशेष रूप से निधि के कामकाज की स्थिति का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करें :

परन्तु यह और कि पारस्परिक निधि बोर्ड को उस स्थान की सूचना देगी जहां लेखा बहियां, अभिलेख और दास्तावेज बनाए रखे जाते हैं।

(2) पारस्परिक निधि सुसंगत लेखा तारीख को निधि की आस्तियों के स्कीमवार व्ययन और यूनिटधारक को उचित और सही रीति से प्रोद्भूत होने वाली आय के वितरण या संचयन के बारे में जानकारी सहित उस अवधि के दौरान कार्य-निष्पादन के समुचित ब्यौरे देने के लिए लेखा नीतियों और मानकों का अनुसरण भी करेगी।

48. लेखा वर्ष.—सभी स्कीमों के लिए लेखा वर्ष उसी तारीख को समाप्त होगा जो 31 मार्च होगी :

परन्तु लेखा वर्ष के दौरान प्रारम्भ की गई नई स्कीम के लिए प्रकटन और रिपोर्ट करने की अपेक्षाएं उसके प्रारम्भ की तारीख से आरम्भ होने वाली और पारस्परिक निधि के सुसंगत लेखा वर्ष की अंतिम तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लागू होंगी।

49. उपार्जनों का वर्गीकरण.—प्रत्येक पारस्परिक निधि अपने लेखाओं में अपने उपार्जनों का "अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ" और "दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ" और अन्य आय में पृथक्करण करके प्रकटन करेगी।

50. व्यय पर सीमा—(1) सभी व्यय की पृथक-पृथक स्कीमों के लिए पहचान और विनियोजन स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

(2) आस्ति प्रबंध कंपनी पारस्परिक निधि को विनिधान प्रबंध और सलाहकार फीस से प्रभारित कर सकेगी जो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए प्रास्पेक्टस में पूर्ण रूप से प्रकट की गई हैं, अर्थात् :—

(i) (क) संबंधित स्कीम के लिए प्रत्येक वर्ष में बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों का एक सही एक बटा चार प्रतिशत जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हैं, और

(ख) 100 करोड़ रुपए से अधिक रकम का एक प्रतिशत जहां इस प्रकार संगणित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक है।

(ii) ऊपर खंड (i) में वर्णित फीस के अतिरिक्त आस्ति प्रबंध कंपनी पारस्परिक निधि को निम्नलिखित से प्रभारित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) निधि और उसकी स्कीमों को प्रायोजित करने के आरंभिक निर्गमन खर्चे ;

(ख) आवर्ती व्यय जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) विपणन और विक्रय व्यय जिनके अन्तर्गत अभिकर्ता की कमीशन है, यदि कोई हो ;

(ii) दलाली और संव्यवहार खर्चे ;

(iii) विक्रीत या मोचित शेयरों के अंतरण के लिए रजिस्ट्रार सेवाएं :

परंतु किसी एक स्कीम की बाबत आरंभिक निर्गमन व्यय उस स्कीम के अधीन जुटाई गई निधि के छह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट व्यय और आस्ति प्रबंध कंपनी को संदेय कोई फीस पारस्परिक निधि को प्रभारित की जाएगी ।

51. लाभांश का वितरण और उसकी सीमाएं—प्रत्येक पारस्परिक निधि वार्षिक लेखा को बंद करने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र यूनिट धारकों को लाभांश के रूप में एक रकम का वितरण इन विनियमों के अनुसार करेगी जो उस स्कीम की बाबत वर्ष के दौरान अर्जित लाभों के नब्बे प्रतिशत से कम नहीं होगी :

परंतु इस उप-विनियम की कोई बात संचयी विनिधान स्कीम या वृद्धि उन्मुख स्कीम को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत स्कीम की प्रकृति का पूर्ण प्रकटन प्रस्थापना के समय विनिधानकर्ताओं को कर दिया गया है ।

52. अवक्षयण आदि के लिए उपबंध—(1) किसी स्कीम की बाबत लाभांश घोषित करने के पूर्व प्रत्येक पारस्परिक निधि विनिधानों पर अवक्षयण के लिए उपबंध करेगी और डूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए अपने लेखापरीक्षकों के समाधानप्रद रूप में उपबंध भी करेगी और लेखाओं के टिप्पणों में अवक्षयण की रीति प्रकट करेगी ।

(2) प्रत्येक पारस्परिक निधि प्रत्येक आवृत्त स्कीम की बाबत उस स्कीम को आय से समुचित विनियोजन द्वारा लाभांश समानीकरण आरक्षिति सर्जित करेगी ।

(3) लाभांश वारंट लाभांश की घोषणा से बयालीस दिन के भीतर प्रेषित किए जाएंगे ।

53. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट—(1) प्रत्येक पारस्परिक निधि अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे लेखापरीक्षक से कराएगी जो आस्ति प्रबंध कंपनी के लेखापरीक्षक से भिन्न होगा ।

स्पष्टीकरण :—इस उप-विनियम और विनियम 65 के प्रयोजनों के लिए "लेखापरीक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 के अधीन कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए अर्ह है ।

(2) लेखापरीक्षक न्यासियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट न्यासियों को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट पारस्परिक निधि की वार्षिक रिपोर्ट का भागी होगी ।

(4) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि—

(i) उसने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसकी लेखा-परीक्षा के लिए आवश्यक थे ।

(ii) तुलनपत्र और आमदनी लेखा स्कीम, कामकाज की स्थिति और उस लेखा अवधि के लिए जिससे यथास्थिति, तुलन पत्र या आमदनी लेखा संबंधित है निधि में अधिशेष या घाटे का ऋजु और सही चित्र प्रकट करते है ।

54. वार्षिक रिपोर्ट और उसके सार का प्रकाशन—पारस्परिक निधि की स्कीमवार वार्षिक रिपोर्ट और उसका संक्षिप्त सार यथाशक्य शीघ्र किन्तु सुसंगत वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से छह मास के अपश्चात् विज्ञापन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा :

परंतु यह कि वार्षिक रिपोर्ट और उसके संक्षिप्त सार में ऐसे ब्यौरे जो अनुसूची 7 और 8 में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे अन्य ब्यौरे समाविष्ट होंगे जो पारस्परिक निधि की संक्रियाओं का सत्य और ऋजु चित्र दर्शित करने के लिए आवश्यक हैं :

परंतु यह और कि जब कभी रिपोर्ट सार रूप में प्रकाशित की जाती है तब ऐसे प्रकाशन में एक टिप्पण होगा कि पूरी वार्षिक रिपोर्ट पारस्परिक निधि के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो उसकी एक प्रति ऐसी नाममात्र फीस के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएगी जो पारस्परिक निधि द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

55. कालिक प्रकटन—(1) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी, अभिरक्षक, पारस्परिक निधि का प्रायोज ऐसे प्रकटन करेंगे या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जिनके ऐसा करने के लिए बोर्ड द्वारा उनसे अपेक्षा की जाए ।

(2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारस्परिक निधि बोर्ड को निम्नलिखित

कालिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, अर्थात् :—

(क) सम्यक् रूप से लेखापरीक्षित लेखाओं के वार्षिक विवरणों की प्रतियां जिनके अन्तर्गत निधि के लिए और प्रत्येक स्कीम की बाबत तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा है, वर्ष में एक बार ;

(ख) छह मासी लेखापरीक्षित न किए गए लेखाओं की एक प्रति ;

(ग) निधि की प्रत्येक स्कीम के लिए शुद्ध आस्तियों में परिवर्तनों का तिमाही विवरण ;

(घ) प्रत्येक स्कीम के लिए तिमाही पोर्टफोलियो विवरण जिसके अन्तर्गत पूर्व अवधियों से परिवर्तन हैं ।

56. विनिधानिकर्ताओं को प्रकटन—न्यासी विनिधानकर्ताओं को ऐसे प्रकटन करने के लिए बाध्य होंगे जो उन्हें किसी जानकारी की बाबत जिसका उनके विनिधानों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, उन्हें अवगत करते रहने के लिए आवश्यक हैं ।

57. वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी—प्रत्येक पारस्परिक निधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बंद होने की तारीख से छह मास के भीतर बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति और अन्य जानकारी भेजेगी जिसके अन्तर्गत विनिधानों के ब्यौरे और पारस्परिक निधि द्वारा धारित जमा हैं जिससे कि पारस्परिक निधियों का संपूर्ण स्कीमवार पोर्टफोलियो बोर्ड को प्रकट हो जाए ।

58. अर्ध-वार्षिक प्रकटन—पारस्परिक निधि प्रत्येक आधे वर्ष की समाप्ति से, अर्थात् 31 मार्च और 30 सितम्बर को, दो मास की समाप्ति से पूर्व अपने वित्तीय परिणाम जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है, संपूर्ण भारत में परिचालित होने वाले एक दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र में और उस क्षेत्र की, जहां पारस्परिक निधि का प्रधान कार्यालय स्थित है, भाषा में प्रकाशित समाचारपत्र में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित करेगी :

परंतु यह कि इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में जिसकी लेखापरीक्षा नहीं हुई है, ऐसे ब्यौरे जो अनुसूची-8 में विनिर्दिष्ट है और ऐसे अन्य ब्यौरे समाविष्ट होंगे जो पारस्परिक निधि की संक्रियाओं का सत्य और ऋजु चित्र दर्शित करने के लिए आवश्यक हैं ।

59. पारस्परिक निधि अंतरण पर रिक्रय लेगी या देगी—(1) प्रत्येक पारस्परिक निधि परिदानों के आधार पर प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करेगी और क्रयों के सभी मामलों में सांपेक्ष प्रतिभूतियों का परिदान लेगी और विक्रय के सभी मामलों में प्रतिभूतियों का परिदान करेगी और किसी भी दशा में अपने को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगी जिसके द्वारा उसे भंडारिया विक्रय या अग्रनयन संव्यवहार करना पड़े या बदला वित्तपोषण में लगना पड़े ।

(2) प्रत्येक पारस्परिक निधि संबंधित स्कीम के लेखे प्रतिभूतियों का क्रय या अंतरण पारस्परिक निधि के नाम में कराएगी जहां कहीं विनिधानों का दीर्घकालीन प्रकृति का होना आशयित है ।

अध्याय 7

निरीक्षण और अनुशासनिक कार्यवाहियां

60. बोर्ड द्वारा निरीक्षण का अधिकार—(1) बोर्ड उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए पारस्परिक निधि, न्यासियों, आस्ति प्रबंध कम्पनी और अभिरक्षक की लेखाबहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन निम्नलिखित हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा-बहियां और अन्य बहियां समुचित रूप से बनाई/रखी जाती हैं ;

(ख) कि अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है ;

(ग) प्रबंधग्रहणों की दशा में पारस्परिक निधि, न्यासियों या आस्ति प्रबंध कंपनी की भूमिका का पुनर्विलोकन करना ;

(घ) विनिधानकर्ताओं, अन्य पारस्परिक निधियों या किसी अन्य व्यक्ति से पारस्परिक निधि, न्यासियों, आस्ति प्रबंध कंपनी और अभिरक्षक के क्रियाकलाप से संबंधित होने वाले किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों का अन्वेषण करना ; और

(ङ) प्रतिभूति कारबार के हित में या विनिधानकर्ताओं के हित में, पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासियों या अभिरक्षक के कामकाज का स्वप्रेरणा से अन्वेषण करना ।

61. निरीक्षण के पूर्व सूचना—(1) विनियम 60 के अधीन निरीक्षण करने के पूर्व बोर्ड यथास्थिति, पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कम्पनी, न्यासियों का अभिरक्षक को कम से कम सात दिन की सूचना देगा ।

(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि विनिधानकर्ताओं के हित में कोई ऐसी सूचना नहीं दी जानी चाहिए वहां वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि, यथास्थिति, पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासियों और अभिरक्षक का निरीक्षण ऐसी सूचना के बिना किया जाए ।

(3) बोर्ड द्वारा सशक्त किए जाने पर निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण करेगा और वह पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी और अभिरक्षक, जिसके विरुद्ध निरीक्षण किया जा रहा है, विनियम 62 के अधीन उप-बंधित अपनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए बाध्य होंगे ।

62. निरीक्षण पर पारस्परिक निधि की बाध्यताएं—(1) यथास्थिति, उप पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, अभिरक्षक और न्यासियों के, जिनका निरीक्षण किया जा रहा है, प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में ऐसी लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेज निरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पेश करे और उसे पारस्परिक निधि और उसके क्रियाकलाप से संबंधित विवरण और जानकारी ऐसे समय के भीतर दे जिसकी निरीक्षण प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारस्परिक निधि किसी परिसर तक जो ऐसी पारस्परिक निधि के या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के अधिभोग में हो या जो पारस्परिक निधि के क्रियाकलाप से किसी भी प्रकार संबंधित हो निरीक्षण प्राधिकारी को काम घंटों के दौरान युक्तियुक्त पहुंच रखने की अनुज्ञा देगी और पारस्परिक निधि या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में किन्हीं बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कम्प्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगी और दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी देगी जो निरीक्षण प्राधिकारी की राय में सुसंगत हैं ।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के अनुक्रम में किन्हीं सदस्यों, निदेशक, भागीदार, स्वत्वधारी और कर्मचारी या पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक के क्रियाकलाप से किसी भी प्रकार से सहयुक्त किसी व्यक्ति की परीक्षा करने और उसके कथन अभिलिखित करने का हकदार होगा ।

(4) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक के प्रत्येक निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को निरीक्षण के संबंध में सभी सहायता दे ।

63. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना—निरीक्षण प्राधिकारी बोर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करेगा ।

64. पारस्परिक निधि को निष्कर्षों आदि की सूचना—बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इससे पूर्व की निरीक्षण प्राधिकारी के निष्कर्षों पर बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई की जाए संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के लिए उसे निष्कर्षों की सूचना देगा ।

65. लेखापरीक्षक की नियुक्ति—इस अध्याय के किसी विनियम में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड को विनियम 63 के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर पारस्परिक निधि, न्यासी या आस्ति प्रबंध कंपनी या अभिरक्षक की लेखा-बहियों या कामकाज का अन्वेषण करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखा-परीक्षक को निरीक्षण प्राधिकारी की वही शक्तियां होंगी जो विनियम 60 में कथित हैं और विनियम 62 में पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी, अभिरक्षक और उनके अपने-अपने कर्मचारियों को बाध्यता इस विनियम के अधीन अन्वेषण को लागू होगी ।

अध्याय 8

व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया

66. व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई के लिए दायित्व—(1) जो कोई—

(क) किसी ऐसी शर्त का पालन करने में असफल रहेगा जिसके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण दिया गया है ; या

(ख) अधिनियम या विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा ;

वह उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति का दायी होगा ।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट शास्तियां निम्नलिखित हो सकेंगी :—

(क) जांच के पश्चात् किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का निलंबन ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ;

(ग) कोई और स्कीमें चालू करना प्रतिषिद्ध करना;

(घ) पारस्परिक निधि के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के रूप में कार्य करने से उसे प्रतिषिद्ध करना;

(ङ) कोई अन्य पारस्परिक निधि गठित करना प्रतिषिद्ध करना ;

परंतु यह कि निलंबन का कोई भी आदेश—

(i) अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों की बाबत भारतीय रिजर्व बैंक ;

(ii) किसी अन्य पारस्परिक निधि की बाबत केन्द्रीय सरकार ;

की पूर्व सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकेगा ।

67. पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण का निलंबन—(1) किसी पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन की शास्ति तभी अधिरोपित की जा सकेगी यदि—

(i) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, उस पारस्परिक निधि का न्यासी अधिनियम या विनियमों के उपबंधों का अतिक्रमण करता है ;

(ii) (क) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, उस पारस्परिक निधि का न्यासी, इन विनियमों के अधीन अपेक्षित अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई जानकारी देने में असफल रहता है ;

(ख) गलत या मिथ्या जानकारी देता है ;

(ग) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है ;

(घ) बोर्ड द्वारा संचालित किसी जांच में सहयोग नहीं देता है ;

(iii) पारस्परिक निधि विनिधानकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने में असफल रहती है या बोर्ड को इस निमित समाधानप्रद उत्तर देने में असफल रहती है ;

(iv) पारस्परिक निधि छलसाधन या कीमत में धोखा-धड़ी करने या बाजार मुट्ठी में करने के क्रियाकलाप में लगती है ;

(v) पारस्परिक निधि अवचार या अनुचित या कारबार रीति-विरुद्ध या अवृत्तिक आचरण की दोषी है जो अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुसार नहीं है ;

(vi) पारस्परिक निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी शुद्ध मिल्कियत को विनियम 20 के उपबंधों के अनुसार बनाए रखने में असफल रहती है ;

(vii) पारस्परिक निधि फीस का संदाय करने में असफल रहती है ;

(viii) पारस्परिक निधि रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अतिक्रमण करती है ;

(ix) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी या उस पारस्परिक निधि का न्यासी विनियमों में विनिर्दिष्ट अपनी बाध्यताओं का निर्वहन नहीं करता है ।

68. पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण—पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की शास्ति तभी अधिरोपित की जा सकेगी यदि—

(i) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, उस पारस्परिक निधि का न्यासी जानबूझकर छलसाधन या कीमत में धोखा-धड़ी या प्रतिभूति बाजार या विनिधानकर्ताओं पर प्रभाव डालने वाले बाजार को मुट्ठी में करने के क्रियाकलाप में लगता है ;

(ii) पारस्परिक निधि की वित्तीय स्थिति पर विस्तार तक खराब हो जाती है कि बोर्ड की यह राय है कि उसका चालू रहना विनिधानकर्ताओं और अन्य पारस्परिक निधियों के हित में नहीं है ;

(iii) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक कपट का दोषी है या किसी दांडिक अपराध के लिए दोषसिद्ध है ।

69. निलंबन और रद्दकरण के आदेश की रीति—निलंबन या रद्दकरण की शास्ति का कोई आदेश विनियम 70 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् ही किया जा सकेगा अन्यथा नहीं ।

70. जांच करने की रीति—(1) विनियम 69 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा ।

(2) जांच अधिकारी, यथास्थिति, पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक को संबद्ध व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या कारबार के मुख्य स्थान पर सूचना जारी करेगा ।

(3) पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य की, जिसका वह आश्रय लेता है या जो बोर्ड द्वारा उससे मांगा गया है, प्रतियों सहित उत्तर जांच अधिकारी को देगा ।

(4) जांच अधिकारी संबद्ध व्यक्ति को उप-विनियम (3) के अधीन दिए गए उसके उत्तर के समर्थन में निवेदन करने के लिए उसे समर्थ करने के लिए उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(5) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच संचालित की जा रही है जांच अधिकारी के समक्ष या तो स्वयं या इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से हाजिर हो सकेगा :

परन्तु यह कि किसी वकील या अधिवक्ता को जांच में ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ;

परंतु यह और कि जहां बोर्ड द्वारा कोई वकील या अधिवक्ता उप-विनियम (6) के अधीन उपस्थिति अधिकारी

के रूप में नियुक्त किया गया है वहां अपना मामला किसी वकील या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित करना पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक के लिए विधिपूर्ण होगा ।

(6) यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो जांच अधिकारी उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए उपस्थिति अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा ।

(7) जांच अधिकारी पक्षकार द्वारा किए गए सभी सुसंगत तथ्यों और निवेदनों को ध्यान में रखने के पश्चात् बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिनिर्णीत की जाने वाली शास्ति और उन आधारों की भी सिफारिश करेगा जिनके आधार पर सूचना में प्रस्तावित शास्ति न्यायसंगत है ।

71. कारण बताओ सूचना और आदेश.—(1) जांच अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर बोर्ड उस पर विचार करेगा और कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि जांच अधिकारी द्वारा यथा प्रस्तावित शास्ति क्यों न अधिरोपित की जाए ।

(2) यथास्थिति, पारस्परिक निधि, आस्ति प्रबंध कंपनी, न्यासी या अभिरक्षक कारण-बताओ सूचना की प्राप्ति से इक्कीस दिन के भीतर बोर्ड को ऊपर भेजेगा ।

(3) बोर्ड, कारण-बताओ सूचना के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र किन्तु उत्तर की, यदि कोई हो, प्राप्ति से तीस दिन के अपश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(4) उप-विनियम (3) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश स्वतः पूर्ण होगा और उसमें कथित निष्कर्षों के लिए कारण बताए जाएंगे जिनके अन्तर्गत उस आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति के लिए औचित्य है ।

(5) बोर्ड उप-विनियम (3) के अधीन आदेश की एक प्रति पारस्परिक निधि और केन्द्रीय सरकार को भेजेगा ।

72. पारस्परिक निधि के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन और रद्दकरण का प्रभाव.—(1) निलंबन की तारीख से ही पारस्परिक निधि निलंबन की अवधि के दौरान पारस्परिक निधि से संबंधित कोई क्रियाकलाप करना बंद कर देगी ।

(2) रद्दकरण की तारीख से ही पारस्परिक निधि उस पारस्परिक निधि से संबंधित कोई क्रियाकलाप करना बंद कर देगी ।

73. निलंबन के आदेश का प्रकाशन.—विनियम 71 के उप-विनियम (3) के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण का आदेश बोर्ड द्वारा कम से कम दो दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।

74. अपील.—बोर्ड के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

अनुसूची-1—प्ररूप

प्ररूप क

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 3 और 18)

रजिस्ट्रीकरण दिए जाने के लिए प्रमाणपत्र

आवेदक का नाम

.....

संपर्क व्यक्ति .....

अनुपालक अधिकारी का नाम

टेलीफोन सं० ..... फैक्स सं० .....

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश :—

1. आवेदकों को समुचित समर्थन दस्तावेजों सहित भरा हुआ आवेदन प्ररूप बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए ।
2. यह आवश्यक है कि यह आवेदन प्ररूप विनियमों के अनुसार भरा जाए ।
3. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा यदि वह सभी प्रकार से पूर्ण है ।
4. उत्तर टंकित किए जाने चाहिएं ।
5. वह जानकारी जिसके अधिक ब्यौरे देना आवश्यक है पृथक पन्नों पर दी जा सकेगी जो आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न किए जाने चाहिएं ।
6. आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए और सभी हस्ताक्षर मूल होने चाहिए ।

उपाबन्ध 1

पारस्परिक निधि का प्रायोजक

(1) प्रायोजक का नाम

(2) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता/पत्रव्यवहार के लिए पता

टेलीफोन सं०

टेलेक्स सं०

फैक्स सं०

(3) संपर्क व्यक्ति का नाम

(4) प्रायोजक के निगमन की तारीख और स्थान
(निगमन प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न करें)

(5) प्रायोजक के उद्देश्य (संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद की एक प्रति संलग्न करें)
मुख्य उद्देश्य
आनुषंगिक उद्देश्य

(6) पूंजी संरचना और शेयर धारिता पैटर्न

(7) कारबार क्रियाकलाप का वर्तमान व्यवसाय
उस व्यवसाय में वर्ष संख्या

(8) उपाबन्ध 1 क और 1 ख के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय जानकारी
(पांच वर्षों के लिए तुलनपत्रों और लाभ-हानि लेखा संलग्न करें)

(9) लेखा नीतियां (महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वर्णन करें)

(10) पद्धतियां और प्रक्रियाएं (कंपनी में पद्धतियों और प्रक्रियाओं और कंपनी का कारबार चलाने के लिये आंतरिक नियंत्रणों का वर्णन करें)

(11) सहयुक्त संगठनों (सामूहिक कंपनियों) समनुषंगियों आदि के नाम

(12) प्रायोजक का प्रबंधतंत्र निदेशकों के नामों, अनुभव, अर्हता और वृत्ति सहित कंपनी का बोर्ड
मुख्य कार्मिक के नाम
संगठन संरचना
सहयुक्त संगठनों, कंपनियों और समनुषंगियों का निदेशक बोर्ड

(13) प्रायोजक के बैंककारों के नाम और पते

(14) प्रायोजक के लेखापरीक्षकों के नाम और पते

(15) न्यायालय मामले/मुकदमे जिनमें प्रायोजक पिछले तीन वर्ष में अन्तर्वलित रहा हो

उपाबन्ध 1क

संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

(क) आय विवरण	वर्ष 1, 2, 3, 4, 5	(रुपए)
आय:		
लाभांश		
व्यापार		
प्रबंध फीस		
अन्य आय		
योग		

व्यय :

निदेशक का पारिश्रमिक
न्यासीपद फीस
अभिरक्षक की फीस
रजिस्ट्रार की फीस
अन्य व्यय

योग

सकल व्यय

अवक्षयण :

कर के पूर्व शुद्ध लाभ
कर
कर के पश्चात् लाभ
लाभांश
प्रतिधारित उपार्जन

उपाबन्ध 1 ख

(ख) आस्तियां और दायित्व

	वर्ष 1, 2, 3, 4, 5	(रुपए)
आस्तियां :		
स्थिर आस्तियां		
सकल		
अवक्षयण		
शुद्ध मूल्य		
चालू आस्तियां :		
बिनिधान†		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
नकद और बैंक अतिशेष		
घटा		
चालू दायित्व और उपबंध		
शुद्ध मिल्कियत		
निम्नलिखित द्वारा दर्शित :		
पुरोधृत और समादत्त पूंजी		
खुली आरक्षितियां		
(पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)		
योग		

†बिनिधानों की पूर्ण विशिष्टियां दें।

उपाबन्ध—II

पारस्परिक निधि का न्यासीपद

(1) यदि पारस्परिक निधि का न्यासी पद किसी न्यास कंपनी के पास है तो कृपया निम्नलिखित विशिष्टियां दें :—

(क) अनुमोदन के लिए प्रारूप संगम-अनुच्छेद और संगम-ज्ञापन
(ख) न्यास कंपनी के उद्देश्य
(ग) आयु, अनुभव और अर्हता सहित न्यासी का निदेशक बोर्ड
(घ) मुख्य कार्मिक
(ङ) पद्धतियां और प्रक्रियाएं, अभिलेख अनुरक्षण आदि
(च) लेखापरीक्षकों और बैंककारों के नाम

(2) यदि पारस्परिक निधि का न्यासीपद किसी विद्यमान डिबेंचर न्यासी, बैंक या वित्तीय संस्था के पास है तो कृपया निम्नलिखित विशिष्टियां दें :—

(क) संस्था का नाम
(ख) पता/टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स सं०
(ग) संपर्क व्यक्ति का नाम
(घ) पृष्ठभूमि जानकारी अर्थात् (कंपनियों, न्यासों की की संख्या जिनके लिये उसने न्यासियों के रूप में कार्य किया है या कार्य कर रही है, उन कंपनियों, न्यास के नाम, न्यासियों के रूप में अनुभव की वर्ष संख्या, कारबार की कुल मात्रा, पिछले तीन वर्ष के लिए न्यासी पद फीस अभिलेख, न्यासीपद के कृत्य करने जिसके अन्तर्गत अभिलेख अनुरक्षण कम्प्यूटर सुविधाएं हैं, के लिए संगठनात्मक अवसंरचना, डिबेंचर न्यासियों की दशा में व्यतिक्रमी कंपनियों की संख्या, ब्याज और मूलधन के संदाय में व्यतिक्रम के मामलों की संख्या और डिबेंचर न्यासियों द्वारा की गई कार्रवाई का भी वर्णन करें)

(3) यदि पारस्परिक निधि का न्यासीपद किसी न्यासी बोर्ड के पास है तो कृपया निम्नलिखित विशिष्टियां दें :

(क) न्यासी बोर्ड के सदस्यों के नाम
(ख) आयु, अनुभव, अर्हता और वृत्ति
(ग) न्यासी बोर्ड के सदस्यों की प्रायोजक या प्रायोजक के किसी सहयुक्त के साथ नातेदारी

(4) प्रारूप न्यास विलेख

प्रारूप न्यास विलेख में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित के लिये उपबन्ध होना चाहिये :—

(क) निधि की आस्तियों के संरक्षण के लिए न्यासियों के उत्तरदायित्व, बाध्यताएं और अधिकार ;

(ख) यह कथन कि विनिधान अनुज्ञात प्रकृति के और नियत सीमाओं के भीतर होने चाहिये ;

(ग) निधि प्रबंधक, अर्थात् आस्ति प्रबंध कंपनी के उत्तर-दायित्व, बाध्यताएं और अधिकार;

(घ) विनिधानों, यूनिटों के सृजन, निर्गमन और रद्दकरण यूनिटों के कीमत-निर्धारण और मोचन, संवृत्त स्कीमों की दशा में यूनिटों के सूचीबद्ध किये जाने, निधि के व्यय के लिए, जिसके अन्तर्गत फीस का संदाय और आय अभिलाभों का वितरण और लेखा हैं, नीतियां;

(ङ) प्रस्थापना दस्तावेजों और विज्ञापनों में स्कीम उद्देश्यों और विनिधान उद्देश्यों के प्रकटनों और निधि की विभिन्न स्कीमों के विनिधानकर्ताओं को वार्षिक और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं के लिए नीतियां;

(च) आस्ति प्रबंध कंपनी से तिमाही रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के अलावा आस्ति प्रबंध कंपनी से आवश्यक जानकारी अभिप्राप्त करने का न्यासियों का अधिकार;

(छ) यूनिटों के कीमत-निर्धारण और निधि में और उससे संदाय और निधि की आय के समुचित लेखा तथा अनुज्ञात व्यय के प्रभरण, अनुज्ञात वितरण के बारे में आस्ति प्रबंध कंपनी की स्थल पर जांच-पड़ताल करने का अधिकार;

(ज) न्यास विलेख की जनता को उपलब्धता

उपाबन्ध—III

आस्ति प्रबंध कंपनी

यदि आस्ति प्रबंध कंपनी (जिसे इसमें आगे आ० प्र० कं० कहा गया है) विद्यमान कंपनी नहीं है

(1) आ० प्र० कं० का नाम

(2) प्रस्तावित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पत्र व्यवहार के लिये पता
टेलीफोन सं०
टेलेक्स सं०
फैक्स सं०

(3) संपर्क व्यक्ति का नाम

(4) आ० प्र० कं० के प्रस्तावित उद्देश्य (अनुमोदन के लिए प्रारूप संगम-अनुच्छेदों और संगम-ज्ञापन की प्रति संलग्न करें)
मुख्य उद्देश्य
आनुषंगिक उद्देश्य

(5) (क) प्रस्तावित पूंजी संरचना
(ख) कंपनी की शुद्ध मिल्कियत जो निम्नलिखित द्वारा दर्शित की जाएगी (लेखा परीक्षकों का आवश्यक प्रमाणपत्र दिया जायेगा)

(6) आ० प्र० कं० की प्रस्तावित पद्धतियां और प्रक्रियायें (कंपनी में प्रस्तावित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का और कंपनी का कारबार चलाने के लिये आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों का वर्णन करें)

(7) आ० प्र० कं० के सहयुक्त संगठनों/सामूहिक कंपनियों/
समनुषंगियों आदि के नाम

(8) आ० प्र० कं० का प्रबंधतंत्र
निदेशकों के नामों, अनुभव, अर्हता और वृत्ति सहित कंपनी का बोर्ड
मुख्य कार्मिक के नाम
प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना
सहयुक्त संगठनों, कंपनियों और समनुषंगियों का निदेशक बोर्ड
यदि आ० प्र० कं० विद्यमान कंपनी है

(1) आ० प्र० कं० का नाम

(2) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता/
पत्र व्यवहार के लिये पता
टेलीफोन सं०
टेलेक्स सं०
फैक्स सं०

(3) संपर्क व्यक्ति का नाम

(4) आ० प्र० कं० के निगमन की तारीख और स्थान
(निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करें)

(5) आ० प्र० कं० के उद्देश्य (संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों की प्रति संलग्न करें)
मुख्य उद्देश्य
आनुषंगिक उद्देश्य
(संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी और आवश्यक संशोधन विद्यमान संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों में सम्मिलित करने होंगे)

(6) पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न
(नवीनतम तारीख को)
कंपनी की शुद्ध मिल्कियत जो निम्नलिखित द्वारा दर्शित की जायेगी।

(7) कारबार क्रियाकलाप के वर्तमान व्यवसाय
उस व्यवसाय में वर्ष संख्या

(8) उपाबंध III क और III ख के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (तीन वर्ष के लिए तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा संलग्न करें)

(9) लेखा नीतियां
(महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का वर्णन करें)

(10) पद्धतियां और प्रक्रियाएँ (कंपनी में पद्धतियों और प्रक्रियाओं तथा कंपनी का कारबार चलाने के लिये आवश्यक आंतरिक नियंत्रणों का वर्णन करें)

(11) सहयुक्त संगठनों/सामूहिक कंपनियों/समनुषंगियों आदि के नाम

(12) आ० प्र० कं० का प्रबंधतंत्र

निदेशकों के नामों, अनुभव, अर्हता, वृत्ति सहित आ० प्र० कं० का बोर्ड
मुख्य कार्मिक के नाम संगठनात्मक संरचना
सहयुक्त संगठनों, कंपनियों और समनुषंगियों का निदेशक बोर्ड

(13) आ० प्र० कं० के बैंककारों के नाम और पते

(14) आ० प्र० कं० के लेखापरीक्षकों के नाम और पते

(15) न्यायालय मामले/मुकदमों जिनमें आ० प्र० कं० पिछले तीन वर्ष में अंतर्वलित रही हो।

उपाबन्ध : III क

संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

(क) आय विवरण

	वर्ष 1, 2, 3, 4, 5	रुपए
आय		
व्यापार		
प्रबंध फीस		
अन्य आय		
योग		
व्यय		
निदेशक का पारिश्रमिक		
न्यासीपद फीस		
अभिरक्षक की फीस		
रजिस्ट्रार की फीस		
अन्य व्यय		
योग		
सकल लाभ		
अवक्षयण		
कर के पूर्व शुद्ध लाभ		
कर		
कर के पश्चात् लाभ		
लाभांश		
प्रतिधारित उपार्जन		

उपाबन्ध : III ख

(ख) आस्तियां और दायित्व

	वर्ष 1, 2, 3, 4, 5	(रुपए)
आस्तियां		

स्थिर आस्तियां		
सकल		
अवक्षयण		
शुद्ध मूल्य		
चालू आस्तियां		
विनिधान†		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
नकद और बैंक अतिशेष		
घटा		
चालू दायित्व और उपबंध		
शुद्ध मिल्कियत जो निम्नलिखित द्वारा दर्शित की जाएगी		
पुरोधृत और समादत्त पूंजी		
खुली आरक्षितियां (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)		
योग		
†विनिधानों की पूर्ण विशिष्टियां दें		

उपाबन्ध—IV

अभिरक्षक

(1) संस्था का नाम

(2) पता/टेलीफोन/टेलेक्स/फैक्स सं०

(3) संपर्क व्यक्ति का नाम

(4) पृष्ठभूमि जानकारी अर्थात् (कंपनियों, न्यासों की संख्या जिनके लिये उसने अभिरक्षकों के रूप में कार्य किया है या कार्य कर रहा है, उन कंपनियों, न्यास के नाम, अभिरक्षकों के रूप में अनुभव की वर्ष-संख्या, अब तक किए गए कारबार की मात्रा, प्राप्त फीस, न्यासीपद के कृत्य करने के लिए संगठनात्मक अवसंरचना जिसके अन्तर्गत अभिलेख अनुरक्षण, कंप्यूटर सुविधाएं हैं।

हम इसके द्वारा करार करते हैं और घोषणा करते है कि रजिस्ट्रीकरण प्ररूप में जिसके अन्तर्गत संलग्न पन्ना है दी गई जानकारी पूर्ण और सत्य है।

हम यह और करार करते हैं कि हम ऐसे परिवर्तन के एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को सूचित करेंगे जो दी गई जानकारी में रजिस्ट्रीकरण प्ररूप के प्रस्तुत करने की तारीख के पश्चात् हो।

हम यह और करार करते हैं कि हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि), विनियम, 1992 का पालन करेंगे और उनके द्वारा आबद्ध होंगे।

हम यह और करार करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में हम ऐसे संक्रिया संबंधी अनुदेशों/निदेशों का पालन करेंगे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(आवेदक/प्रायोजक का नाम)

के लिए और उसकी ओर से

तारीख :

स्थान :

अनुसूची 2

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992
(विनियम 4 और 10)

आवेदन फीस—वार्षिक फीस

पारस्परिक निधियों द्वारा संदेय आवेदन फीस	पांच हजार रुपए
पारस्परिक निधियों द्वारा संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस	दस लाख रुपए
पारस्परिक निधियों द्वारा संदेय वार्षिक फीस	एक लाख रुपए

अनुसूची 3

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992
(विनियम 16)

न्यास विलेख की अन्तर्वस्तु

न्यास विलेख में निम्नलिखित खंड होंगे, अर्थात्:—

1. (i) कोई न्यासी पारस्परिक निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभाने में अन्य कंपनियों या संस्थाओं या वित्तीय मध्यवर्तियों या किसी निगमित निकाय से, जिनसे वह संबद्ध हो, सुरक्षित दूरी वाला संबंध रखेगा।

   (ii) न्यासी बोर्ड का सदस्य किन्हीं विनिधानों के लिए न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में या किसी विनिश्चय-प्रक्रिया में जिससे वह हितबद्ध हो, भाग नहीं लेगा ।

   (iii) न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड को उस हित की सूचना देंगे जो उसका, किसी अन्य कंपनी या संस्था या वित्तीय मध्यवर्ती या किसी निगमित निकाय में निवेशक, भागीदार के रूप में उसके पद के आधार पर हो या जिससे वह किसी अन्य हैसियत में संबद्ध हो।

2. न्यास विलेख में न्यासियों की न्यूनतम संख्या का वर्णन होना चाहिये ।

3. न्यास विलेख में यह उपबंध होना चाहिये कि न्यासी पारस्परिक निधि की स्कीमों की सभी पूंजी संपत्ति अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण के अधीन रखेंगे और उसे यूनिटधारकों के लिए न्यास में धारण करेंगे।

4. न्यास विलेख में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होना चाहिये कि यूनिटधारकों का, न्यास संपत्ति में अलग-अलग स्कीमों में केवल उनकी अपनी-अपनी धारिता के विस्तार तक फायदाप्रद हित होगा।

5. न्यास विलेख में यह उपबन्ध होगा कि न्यासियों का यह कर्तव्य होगा कि वे यूनिटधारकों के हित में कार्य करेंगे।

6. न्यास में यह उपबन्ध होगा कि न्यासियों का यह कर्तव्य होगा कि वे यूनिटधारकों और बोर्ड को वह जानकारी देंगे या दिलवायेंगे जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

7. न्यास विलेख में यह उपबन्ध होगा कि न्यासी न्यासियों और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् पारस्परिक निधि के लिये स्कीमें चालू करने और विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटाई गई निधियों का न्यास विलेख और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रबंध करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति प्रबंध कंपनी की नियुक्ति करेंगे। न्यासी इस प्रयोजन के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के साथ विनिधान प्रबंध करार (वि० प्र० कं०) (जिसे इसमें आगे विप्रक कहा गया है) करेंगे और उसे न्यास विलेख के साथ संलग्न करेंगे ।

8. न्यास विलेख में यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतने के न्यासी के कर्तव्य के लिए उपबन्ध होगा कि आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा चालू और प्रबंधित स्कीमों के अधीन निधियां न्यास विलेख और विनियमों के अनुसार हैं ।

9. न्यास विलेख में विनियमों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से केवल विनिर्दिष्ट दशाओं में आस्ति प्रबंध कंपनी को पदच्युत करने की न्यासियों की शक्ति के लिए उपबन्ध होगा।

10. न्यास विलेख में यह उपबन्ध होगा कि न्यासी विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिरक्षक की नियुक्ति करेंगे और पारस्परिक निधि के संबंध में उसके क्रियाकलाप के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए अभिरक्षक के साथ करार करेंगे।

11. न्यास विलेख में यह उपबन्ध होगा कि पारस्परिक निधि के लिए लेखापरीक्षक आस्ति प्रबंध कंपनी के लेखा परीक्षक से भिन्न होगा।

12. न्यास विलेख में स्कीम को संदत्त की जाने के लिए शोध्य किसी आय के संग्रहण का पर्यवेक्षण करने और कर के किसी प्रतिसंदाय का दावा करने के लिए तथा प्राप्त किसी आय को न्यास विलेख, विनियमों के अनुसार धारकों के लिये न्यास में रखने के लिए न्यासियों के उत्तरदायित्व के लिए उपबन्ध होगा।

13. पूंजी या आय को संदायों के आबंटन के बारे में विस्तृत नीतियां न्यास विलेख में उपदर्शित की जानी चाहिये।

14. न्यास विलेख न्यास संपत्ति में से किसी आस्ति के अर्जन का स्पष्ट रूप से निषेध भी करेगा जिसमें कोई ऐसा दायित्व ग्रहण करना अन्तर्वलित है जो असीमित है, या वह न्यास संपत्ति के किसी भी प्रकार के विल्लंगम में परिणत नहीं होगा।

15. न्यास विलेख पारस्परिक निधि और आ० प्र० कं० को कोई उधार देने या प्रत्याभूत करने या न्यासियों और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप करने का निषेध करेगा।

16. न्यासियों को संदेय न्यासीपद फीस का यदि कोई हो, न्यास विलेख में उपबन्ध किया जाएगा।

17. न्यास विलेख में यह उपबंध होगा कि न्यास विलेख में कोई संशोधन बोर्ड और यूनिटधारकों के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

18. न्यासी को हटाये जाने के सभी मामलों में बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अनुसूची 4

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 17)

विनिधान प्रबंध करार की अन्तर्वस्तु

विनिधान प्रबंध करार में आ० प्र० कं० के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के लिए स्पष्ट उपबन्ध होंगे, अर्थात्:—

(i) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से न्यासियों द्वारा नियुक्त आ० प्र० कं० न्यासियों द्वारा स्कीमों के लिए अनुमोदन के पश्चात् न्यास विलेख और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारस्परिक निधि के लिए स्कीमें चालू करने और विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटाई गई निधियों का प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(ii) आ० प्र० कं० न्यासियों और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना पारस्परिक निधियों के प्रबंध और वित्तीय सेवा परामर्श, वाणिज्यिक आधार पर अनुसंधान और विश्लेषण का आदान-प्रदान जैसे अन्य क्रियाकलाप नहीं करेगी जब तक कि वे निधि प्रबंध क्रियाकलाप के ही विरोध में नहीं हैं;

(iii) आ० प्र० कं० विभिन्न स्कीमों के अधीन जुटाई गई निधियों का विनिधान न्यास विलेख और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगी;

(iv) आ० प्र० कं० स्कीम की संपत्ति में से किसी आस्ति का अर्जन नहीं करेगी जिसमें किसी ऐसे दायित्व का ग्रहण अन्तर्वलित है जो असीमित है और जो स्कीम की संपत्ति के किसी भी प्रकार से विल्लंगम में परिणत हो सकती है ;

(v) आ० प्र० कं० उधार नहीं देगी या उन्हें प्रत्याभूत नहीं करेगी या विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप आरंभ नहीं करेगी;

(vi) आ० प्र० कं० या आ० प्र० कं० के अधिकारियों या आ० प्र० कं० द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपगत कोई हानि या नुकसान या व्यय की न्यास संपत्ति में से पूर्ति नहीं की जाएगी;

(vii) आ० प्र० कं० यह सुनिश्चित करेगी कि कोई आवेदन प्ररूप या भावी क्रेताओं को जारी किया गया विक्रय साहित्य या अन्य मुद्रित सामग्री, या यूनिटधारकों के साधारण निकाय, या जनता या प्रेस या संचार के अन्य माध्यमों को संबोधित विज्ञापन, या रिपोर्ट और । या घोषणा (कीमतों या उत्पादनों की घोषणा से भिन्न) न्यासियों के लिखित रूप में अनुमोदन के बिना जारी नहीं की जाती है या प्रकाशित नहीं की जाती है और उसमें न्यास विलेख या न्यासियों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्थापना दस्तावेज स्कीम विशिष्टियों से विषयेतर कोई कथन या बात नहीं है ;

(viii) आ० प्र० कं० स्कीम विशिष्टियों में निधि की विभिन्न स्कीमों की पुनर्क्रय कीमत और शुद्ध आस्ति मूल्य की (जिसे इसमें आगे शु० आ० मू० कहा गया है) संगणना की आधार प्रकट करेगी और उसे विनिधानकर्ताओं को ऐसे अंतरालों पर प्रकट करेगी जो न्यासियों और बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं ;

(ix) न्यासियों को आ० प्र० कं० से आ० प्र० कं० द्वारा प्रबंधित पारस्परिक निधि की विभिन्न स्कीमों की संक्रियाओं के संबंध में सभी जानकारी ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीति से अभिप्राप्त करने का अधिकार होगा जो न्यासियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि आ० प्र० कं० न्यास विलेख और विनियमों के उपबन्धों का पालन कर रही है ;

(x) आ० प्र० कं० न्यासियों को पारस्परिक निधि की स्कीमों के कार्यकरण पर तिमाही या ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो न्यासियों या बोर्ड द्वारा अपेक्षित हों :

(xi) न्यासी को विनियमों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से केवल विनिर्दिष्ट दशाओं में आ० प्र० कं० को पदच्युत करने की शक्ति होगी ।

प्ररूप ख

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 9)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

1. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1992 के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ..... को पारस्परिक निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इसके द्वारा देता है ।

2. पारस्परिक निधि के लिए रजिस्ट्रीकरण कोड पा० नि ..... है ।

आदेश से

तारीख

ह० .....

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लिए
और उसकी ओर से

अनुसूची 5

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 28)

विज्ञापन संहिता

1. विज्ञापन, सच्चा, उचित और स्पष्ट होगा और उसमें कोई ऐसा कथन, वचन या भविष्यवाणी नहीं होगी जो असत्य या भ्रामक है ।

2. कोई विज्ञापन भ्रामक समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित है :—

(क) भ्रामक कथन : आवश्यक स्पष्टीकारक या सापेक्ष कथनों के अभाव में पारस्परिक निधि के कार्य निष्पादन या क्रियाकलाप के बारे में व्यपदेशन और जो उस कार्य या क्रियाकलाप का उससे बढ़ा-चढ़ाकर चित्र दर्शित करता है जो वास्तव में है ।

(ख) किसी भूतपूर्व कार्य-निष्पादन का अशुद्ध चित्रण या उसका इस रीति से चित्रण जिससे यह विवक्षित होता है कि भूतपूर्व अभिलाभ या आय की भविष्य में पुनरावृत्ति होगी ।

(ग) विनिधानों से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिमों के उसी समय पर वर्णन के बिना पारस्परिक निधियों की स्कीमों में यूनिटों के स्वामी होने या उनमें विनिधान करने के फायदों का वचन देने वाले कथन ।

3. विज्ञापन, अंतर्वस्तु और रूप-विधान या प्रिंट इस प्रकार परिकल्पित नहीं होगा जिससे भ्रम होना संभाव्य हो या किसी कथन के महत्व का छिपाना संभाव्य हो । विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षा द्वारा या लोप द्वारा विनिधानकर्ता को भ्रम में डाल दें ।

4. विक्रय साहित्य में केवल वही जानकारी हो सकेगी जिसका सार इस संहिता के अनुसार निधियों के चालू विज्ञापनों में सम्मिलित किया गया है ।

5. विज्ञापन इस प्रकार नहीं बनाए जाएंगे जिनसे विनिधानकर्ताओं के अनुभव के अभाव या ज्ञान का शोषण हो । विनिधानकर्ता विधिक या वित्तीय मामलों में सुविज्ञ नहीं हो सकते इसलिए यह सावधानी बरतनी चाहिए कि विज्ञापन स्पष्ट, संक्षिप्त और बोधगम्य रीति से दिए जाते हैं । तकनीकी या विधिक शब्दावली या जटिल भाषा के प्रयोग और अत्यधिक ब्यौरों को सम्मिलित करने से बचना चाहिए जिनसे विनिधानकर्ता अनाकर्षित हों ।

6. विज्ञापन में ऐसी जानकारी नहीं होगी जिसकी शुद्धता किसी विस्तार तक धारणाओं पर निर्भर करती है ।

7. विज्ञापन में स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से एक निधि की तुलना किसी अन्य निधि से नहीं की जाएगी जब तक कि तुलना निष्पक्ष नहीं है और तुलना से सुसंगत सभी जानकारी विज्ञापन में सम्मिलित नहीं की गई है ।

8. निधियां जो प्राप्तियों के बारे में विज्ञापित करती हैं उन्हें अंकित मूल्य पर लाभांश, क्रय कीमत पर वार्षिक प्राप्ति और प्रत्यागम की वार्षिक चक्रवर्धित दर जैसे मानक परिकलनों का उपयोग करना चाहिए ।

9. पारस्परिक निधियां सभी विज्ञापनों में निधि के व्यवस्थापक, न्यासी, प्रबंधक और/या वित्त सलाहकार के नाम उपदर्शित करेगी जिनमें इन सत्ताओं की विधिक प्रास्थिति और सीमित दायित्व, उनमें से हर एक के बीच विधिक रूप से और उनके कृत्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं के अनुसार भिन्नता स्पष्ट रूप से दी जाएगी ।

10. सभी विज्ञापनों में इस प्रभाव का स्पष्ट कथन भी होगा कि सभी पारस्परिक निधियां और प्रतिभूति विनिधान बाजार जोखिमों के अधीन रहते हुए होंगे और ऐसा कोई आश्वासन नहीं हो सकता कि निधि के उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे ।

11. परंतु यदि किसी विज्ञापन में कोई पारस्परिक निधि भावी विनिधानकर्ताओं को किसी प्रत्यागम की न्यूनतम दर या प्राप्ति की गारंटी या आश्वासन देती है तो ऐसी गारंटी का समर्थन करने के लिए संसाधन भी उपदर्शित करने चाहिए ।

12. यदि कोई विद्यमान पारस्परिक निधि विज्ञापनों में उस निधि का भूतपूर्व कार्य-निष्पादन उपदर्शित किया गया है तो प्रत्यागम/प्राप्ति की दरों की संगणना करने के लिए आधार और किए गए समायोजन (यदि कोई हों) इस कथन सहित स्पष्ट रूप से उपदर्शित करने चाहिएं कि ऐसी जानकारी भविष्यवर्ती परिणामों की आवश्यक रूप से सूचक नहीं है और वह अन्य विनिधानों से तुलना के लिए आवश्यक आधार नहीं देती है ।

अनुसूची 6

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 41)

विनिधानों पर निबंधन

1. ऋण लिखतों को किसी प्रत्यय वर्गीकरण अभिकरण द्वारा विनिधान श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए :

परंतु यह कि यदि ऋण लिखत वर्गीकृत नहीं की जाती है तो विनिधानों के लिए आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड का विनिर्दिष्ट अनुमोदन लेना चाहिए ।

2. पारस्परिक निधियों द्वारा किसी प्रयोजन के लिए कोई सावधि उधार नहीं दिए जा सकेंगे ।

3. प्राइवेट रूप से रखे गए डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों, और अन्य अनुत्कथित ऋण लिखतों के रूप में विनिधान, वृद्धि स्कीमों की दशा में स्कीम की कुल आस्तियों के दस प्रतिशत और आय स्कीमों की दशा में सुसंगत स्कीम की कुल आस्तियों के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

4. पारस्परिक निधि की किसी भी एकल स्कीम को अपनी समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक का विनिधान किसी एक कंपनी के शेयरों में नहीं करना चाहिए ।

5. कोई भी पारस्परिक निधि अपनी सभी स्कीमों के अधीन किसी कंपनी की मतदान अधिकारों वाली समादत्त पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक की स्वामी नहीं होनी चाहिए ।

6. किसी भी पारस्परिक निधि को एक साथ मिलाकर अपनी सभी स्कीमों के अधीन अपनी निधियों के दस प्रतिशत से अधिक का विनिधान किसी एकल कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों में नहीं करना चाहिए ।

7. किसी भी पारस्परिक निधि को एक साथ मिलाकर अपनी सभी स्कीमों के अधीन अपनी निधियों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक का विनिधान किसी एक उद्योग के शेयरों और डिबेंचरों में नहीं करना चाहिए :

परंतु यह कि यह उपबंध उस स्कीम को लागू नहीं होगा जो एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों में विनिधानों के लिए चालू की गई है और प्रस्थापना पत्र में उस प्रभाव की घोषणा की गई है ।

8. एक ही पारस्परिक निधि में एक स्कीम से किसी अन्य स्कीम में विनिधानों के अंतरणों की अनुज्ञा तब दी जाएगी यदि,—

(क) ऐसे अंतरण उत्कथित लिखतों के लिए नकद आधार पर विद्यमान बाजार कीमत पर किए जाते हैं ।

(ख) इस प्रकार अंतरित प्रतिभूतियां उस स्कीम के विनिधान उद्देश्य के अनुरूप है जिसको ऐसा अंतरण किया गया है ।

9. कोई भी स्कीम उसी आस्ति प्रबंध कंपनी के अधीन किसी अन्य स्कीम में विनिधान नहीं करेगी या उधार नहीं देगी ।

10. पारस्परिक निधियों को अपने विनिधानों का विनपोषण करने के लिए निधियां उधार लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

11. किसी स्कीम की बाबत आरंभिक निर्गमन व्यय उस स्कीम के अधीन जुटाई गई निधियों के छह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा ।

12. पैरा 1 से 11 में किसी बात के होते हुए भी आरंभिक निर्गमन व्यय के सिवाय निधि को प्रभारित कुल व्यय लेखा वर्ष के दौरान बकाया साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

अनुसूची 7

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) विनियम, 1992

(विनियम 54)

वार्षिक रिपोर्ट

1. वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित होंगे—

(i) निधि की विभिन्न स्कीमों और संपूर्ण निधि की वर्ष के दौरान संक्रियाओं और निधि के भावी दृष्टिकोण पर न्यासी बोर्ड की रिपोर्ट ;

(ii) इस अनुसूची के क्रमशः पैरा 2 और 3 के अनुसार तुलनपत्र और आमदनी लेखा ;

(iii) इस अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट ;

(iv) निम्नलिखित पहलुओं पर न्यासी बोर्ड का संक्षिप्त कथन, अर्थात् :—

(क) न्यासियों और व्यवस्थापक के दायित्व और उत्तरदायित्व ;

(ख) प्रत्येक स्कीम का विनिधान उद्देश्य ;

(ग) स्कीम का अन्तर्निहित विनिधान आधार और नीति ;

(घ) यदि स्कीम शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य स्क्रिप प्रतिभूतियों में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से विनिधान की अनुज्ञा देती है जिनके मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है तो निम्नलिखित के अनुसार एक कथन :

"यूनिटों की कीमत और मोचन मूल्य, और उनसे आय उसके अन्तर्निहित विनिधानों के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के साथ अधिक और कम हो सकता है ।"

(v) इस अनुसूची के पैरा 5 के अनुसार सुसंगत प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण "प्रति यूनिट" आंकड़े देने वाला विवरण ;

(vi) निम्नलिखित के अनुसार कथन :

"वर्तमान और भावी यूनिट धारक /विनिधानकर्ता न्यास विलेख, वार्षिक रिपोर्ट और सुसंगत स्कीम के पाठ की प्रति लिखित अनुरोध पर अभिप्राप्त कर सकते हैं ।"

2. तुलनपत्र की अन्तर्वस्तु

(i) तुलनपत्र में उसकी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां स्कीमवार दी जाएंगी । इन विशिष्टियों में इसके उपाबंध 1क और 1ख में प्रगणित जानकारी होगी । इसमें अन्य बातों के साथ विनिधानों के मूल्यांकन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित लेखा नीतियां प्रकट की जाएंगी ।

(ii) यदि विनिधान लागतों या अवलिखित लागत पर अर्जित किए जाते हैं तो साधारण शेयरों, अधिमानी शेयरों, मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध संपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों और बंधपत्रों, जिनमें वे जो मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और वे जो प्राइवेट रूप से रखे गए हैं और विभेद करते हुए प्रत्येक प्रकार के विनिधान की बाबत उनका सकल बाजार मूल्य पृथक रूप से कथित किया जाएगा ।

(iii) तुलनपत्र में प्रत्येक प्रकार के विनिधान के अधीन अक्रिय विनिधानों का सकल अर्जन मूल्य और बाजार मूल्य प्रकट किया जाएगा । किसी विनिधान को अक्रिय माना जाएगा यदि उससे पारस्परिक निधि के लेखा वर्ष के अंत पर दो वर्ष से अधिक के लिए लाभांश या ब्याज के रूप में कोई प्रत्यागम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(iv) तुलनपत्र में अक्रिय विनिधानों के मूल्य में कमी/हानि के लिए आमदनी खाते में किए गए उपबंध की मात्रा दर्शित की जाएगी ।

(v) तुलनपत्र में लेखा वर्ष के अंत पर का प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य (शु० आ० मू०) प्रकट किया जाएगा ।

(vi) जैसा कंपनी की दशा में है तुलनपत्र में प्रत्येक मद के सामने पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के अंत पर के तत्स्थानी आंकड़े दिए जाएंगे ।

3. आमदनी लेखा की अंतर्वस्तु

(i) आमदनी लेखा में पारस्परिक निधि की आय, व्यय और अतिशेष की विशिष्टियां स्कीमवार दी जाएंगी। इन विशिष्टियों में इस अनुसूची के उपाबंध 2 में प्रगणित जानकारी होगी ।

(ii) यदि आमदनी खाते में दर्शित विनिधानों के विक्रय पर लाभ में उसी पारस्परिक निधि के भीतर विनिधानों के अंतर-स्कीम अंतरण पर लाभ/हानि सम्मिलित है तो वसूल किए गए रूप में मान्य ऐसा लाभ तृतीय पक्षकारों को विनिधानों के क्रय पर लाभ/हानि के साथ मिलाए बिना पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा ।

(iii) विनिधानों से आमदनी और आय (जिसके अन्तर्गत लाभांश और ब्याज हैं) की पहचान के बारे में लेखा नीति प्रकट की जानी चाहिए ।

(iv) विनिधानों के मूल्य में कमी जिसके लिए उपबंध नहीं किया गया है जो उनके सकल बाजार मूल्य और उनकी अर्जन लागत के बीच अंतर को दर्शित करती है एक टिप्पण द्वारा प्रकट की जाएगी जो आमदनी खाते का भाग होगा। इसके विपरीत विनिधान पर वसूल न किया गया लाभ जो उनके सकल बाजार मूल्य और अर्जन लागत के अंतर को दर्शित करता है लेखा में टिप्पण के रूप में प्रकट किया जाएगा। आमदनी लेखा में अधिशेष, आरक्षितियों को अंतरण और वितरित लाभांश के रूप में उपदर्शित किया जाएगा ।

(v) तुलनपत्र और आमदनी लेखा स्कीमवार निधि के प्रबंधक(कों) और न्यासी बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । [उपाबंध 2 के टिप्पण (iv) को देखें] ।

4. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(i) सभी पारस्परिक निधियों से, उनके न्यास विलेखों में उस प्रभाव के उपबंधों के अनुसार, अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराने की अपेक्षा की जाएगी । लेखापरीक्षक की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगी । इसके साथ संक्षिप्त तुलनपत्र और आमदनी लेखा संलग्न होना चाहिए । लेखापरीक्षक न्यासी बोर्ड को न कि यूनिट धारिकों को रिपोर्ट देगा ।

(ii) लेखापरीक्षक यह कथन करेगा कि क्या :—

(1) उसने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उसकी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ।

(2) तुलनपत्र और आमदनी लेखा निधि की लेखाबहियों से मेल खाते हैं ।

(iii) लेखापरीक्षक अपनी यह राय देगा कि क्या :—

(1) तुलनपत्र निधि के कामकाज की स्कीमवार स्थिति का सही और ऋजु चित्र दर्शित करता है जैसा वह तुलनपत्र की तारीख को था ; और

(2) आमदनी लेखा तुलनपत्र की तारीख को समाप्त हुए वर्ष/अवधि के लिए निधि के स्कीमवार अधिशेष/घाटे का सही और ऋजु चित्र दर्शित करता है ।

5. प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रति यूनिट आंकड़े :

(1) यह कथन पिछले 3 वर्ष के लिए निम्नलिखित स्कीमवार प्रति यूनिट आंकड़े प्रकट करेगा :

(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट ;

(ख) सकल आय प्रति यूनिट जो निम्नलिखित संघटकों में विघटित हो :

(i) विनिधान के विक्रय पर लाभ से भिन्न आय, प्रति यूनिट ;

(ii) अंतर-स्कीम विक्रयों/विनिधान अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट ;

(iii) तृतीय पक्षकार को विनिधान के विक्रय पर लाभ से आय, प्रति यूनिट ;

(iv) पिछले वर्षों की आरक्षिति से आमदनी लेखा को अंतरण, प्रति यूनिट ;

(ग) व्यय, अवलेखन, अवक्षयण, क्रमिक उपाकरण और प्रभार का योग, प्रति यूनिट, विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध का पृथक रूप से दर्शित किया जाना, प्रति यूनिट ;

(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट ;

(ङ) विनिधानों के मूल्य में वसूल न की गई वृद्धि/उपबंध न की गई कमी, प्रति यूनिट ;

(च) यदि यूनिटों का व्यापार या पुनर्क्रय/विक्रय किया जाता है तो वर्ष के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमत, प्रति यूनिट और कीमत-अर्जन अनुपात ।

उपाबन्ध 1-क

(पैरा 2 देखें)

स्कीमवार तुलनपत्र की अन्तर्वस्तु

तुलनपत्र का आस्ति भाग :

I. तुलनपत्र की आस्तियां निम्नलिखित वर्गों में समूहित की जाएंगी :

—विनिधान;
—जमा;
—अन्य चालू आस्तियां;
—स्थिर आस्तियां;
—आस्थगित आमदनी मद्दे व्यय;

II. विनिधान

निम्नलिखित प्रकारों का विनिधान उनकी सकल अर्जन रकम द्वारा पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा :

(i) साधारण शेयर;
(ii) अधिमानी शेयर;
(iii) प्राइवेट रूप से रखे गए डिबेंचर/बंधपत्र;
(iv) मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज पर सूची बद्ध/सूचीबद्ध किए जाने की प्रतीक्षा करने वाले डिबेंचर/बंधपत्र;
(v) अग्रिम संदत्त कालें;
(vi) सावधि उधार;
(vii) केन्द्रीय/राज्य सरकार प्रतिभूतियां (जिनके अन्तर्गत खजाना हुंडियां हैं);
(viii) वाणिज्यिक पत्र;
(ix) अन्य;

—विनिधानों के मूल्यांकन की लेखा-नीति प्रकट करनी चाहिए।

—यदि विनिधान लागत पर या अवलिखित मूल्य पर अर्जित किए जाते हैं तो ऊपर प्रत्येक प्रकार के विनिधानों की बाबत उनका सकल बाजार मूल्य पृथक् रूप से कथित किया जाएगा।

—प्रक्रिय विनिधानों का सकल अर्जन मूल्य और बाजार मूल्य प्रत्येक प्रकार के विनिधान के अधीन पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा। विनिधान को तब अक्रिय समझा जाएगा यदि पारस्परिक निधि के लेखा वर्ष के अन्त पर के दो वर्ष से अधिक के लिए उससे कोई लाभांश या ब्याज नहीं उत्पन्न हुआ है।

III. जमा

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :
—अनुसूचित बैंकों के पास जमा;
—कंपनियों/संस्थाओं के पास जमा;
—अन्य;

IV. अन्य चालू आस्तियां

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :
—बैंकों के पास चालू लेखा में अतिशेष;
—हाथ नकदी;
—विविध ऋणी;
—विनिधानों के विक्रय के लिए संविदाएं;
—बकाया और प्रोद्भूत आय;
—अग्रिम, जमा, आदि;
—सेतु वित्त;
—आवंटन के लंबित रहते हुए शेयर/डिबेंचर आवेदन धनराशि;
—अन्य;

V. स्थिर आस्तियां

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :
—पट्टाधृत भूमि;
—पूर्ण स्वामित्व भूमि;
—कार्यालय भवन और परिसर;
—फर्निचर और फिक्सचर और कार्यालय उपस्कर;
—अन्य आस्तियां;

लागत (सकल ब्लाक), अवक्षयण, बही मूल्य (शुद्ध ब्लाक), वर्ष के दौरान परिवर्धन और कटौतियां स्थिर आस्तियों के प्रत्येक प्रकार के लिए उसी प्रकार पृथक् रूप से प्रकट करनी चाहिए जैसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-6 के भाग के अधीन की जाती हैं।

VI. आस्थगित आमदनी मद्दे व्यय

—आरंभिक अतिशेष, वर्ष के दौरान अवलिखित रकम, पश्चात्वर्ती वर्षों को आस्थगित रकम के बीच विभेद करना।

—व्यय को आस्थगित आमदनी मद्दे व्यय मानने के संबंध में लेखा नीति और उनका अवलेखन प्रकट करना चाहिए।

उपाबन्ध 1-ख

(पैरा 2 देखें)

स्कीमवार तुलनपत्र की अंतर्वस्तु

तुलनपत्र का दायित्व भाग

तुलनपत्र का दायित्व भाग निम्नलिखित वर्ग में विभाजित किया जाएगा :

(i) यूनिट पूंजी;

(ii) आरक्षितियां और अधिशेष;

(iii) उधार;

(iv) चालू दायित्व और उपबंध;

II. यूनिट पूंजी

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :

—आरंभिक पूंजी;

—यूनिट पूंजी (जिसके अन्तर्गत यूनिट की संख्या और अंकित मूल्य प्रति यूनिट है)

III. आरक्षितियां और अधिशेष

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :

—यूनिट प्रीमियम आरक्षिति;

—आरंभिक पूंजी से संबंधित साधारण आरक्षिति;

—यूनिट पूंजी से संबंधित साधारण आरक्षिति;

—लाभांश समानीकरण आरक्षिति;

—कोई अन्य आरक्षिति (उसकी प्रकृति प्रकट करना);

—विनियोग लेखा;

—यदि वर्ष के दौरान किन्हीं विनिधानों के मूल्य में हानि के लिए कोई उपबन्ध यूनिट प्रीमियम आरक्षिति के विकलन द्वारा किया जाता है तो ऐसे उपबन्ध का संकलित मूल्य प्रत्येक प्रकार के विनिधान की बाबत पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

—आरंभिक अतिशेष, आरक्षिति से/को अंतरण अंत अतिशेष प्रत्येक प्रकार की आरक्षिति से पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा।

IV. उधार

निम्नलिखित के बीच विभेद करना :

—भारतीय रिजर्व बैंक से हानि;

—व्यवस्थापक से;

—अन्य वाणिज्यिक बैंकों से;

—अन्य से;

यदि ऊपर वाले उधार प्रतिभूत हैं तो प्रतिभूति की प्रकृति और विस्तार प्रकट करना चाहिए,

निम्नलिखित चालू दायित्वों और उपबन्धों के बीच विभेद करना

चालू दायित्व :

V. चालू दायित्व और उपबंध

—विविध लेनदार;

—उधारों पर संदेय ब्याज;

—विनिधानों के क्रय के लिए संविदा;

—लेखा बहियों अनुसार अध्यावान बैंक लेखा;

—अदावाकृत वितरित आय;

—अन्य;

उपबन्ध

—विनिधानों के मूल में हानि/कमी के लिए उपबन्ध (प्रत्येक प्रकार के विनिधान के संदर्भ में पृथक्);

—शंकास्पद जमा के लिए उपबन्ध;

—बकाया और शंकास्पद समझी गई प्रोद्भूत आय के लिए उपबन्ध;

—उपदान के लिए उपबन्ध;

—कर्मचारी कल्याण निधि के लिए उपबन्ध;

—प्रारंभिक पूंजी और यूनिट पूंजी पर वितरित प्रस्तावित आय;

—अन्य उपबन्ध

उपाबन्ध 2-ख

(पैरा 3 देखें)

आमदनी लेखा की अंतर्वस्तु

—लाभांश;

—ब्याज;

—विनिधानों के विक्रय/मोचन पर लाभ (अंतर स्कीम अंतरण/विक्रय से भिन्न);

—विनिधानों के अन्तर स्कीम अन्तरण/विक्रय पर लाभ;

—अन्य आय (प्रकृति उपदर्शित करना);

व्यय और हानियां

—विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए उपबन्ध;

—शंकास्पद समझी गई बकाया प्रोद्भूत आय के लिए उपबन्ध;

—शंकास्पद जमा और चालू आस्तियों के लिए उपबन्ध;

—विनिधानों के क्रय/मोचन पर हानि (अंतरस्कीम अंतरण/विक्रय से भिन्न);

—विनिधानों के अंतरस्कीम अंतरण/विक्रय पर हानि;

—प्रबन्ध फीस;

—न्यासीपद फीस;

—कर्मचारिवृन्द लागत जिसके अन्तर्गत वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, उपदान आदि को अभिदाय है;

—कार्यालय और प्रशासनिक व्यय;

—रजिस्ट्रीकरण और स्थानीय प्रभार;

—अभिकर्ताओं को कमीशन;

—प्रचार व्यय;

—लेखापरीक्षा फीस;

—अन्य प्रवर्तन व्यय;

—प्रबलिखित आस्थगित आमदनी मद्धे व्यय;

—स्थिर आस्तियों का अवक्षयण;

घटा

प्रबन्ध व्यय के लेखे यूनिटों के विक्रय पर वसूल किया गया व्यय;

टिप्पण :

(i) विनिधानों से आमदनी और आय की (जिसके अंतर्गत लाभांश और ब्याज है) पहचान की बाबत लेखा नीति एक टिप्पण के रूप में प्रकट की जाएगी।

(ii) विनिधानों के मूल्य में उपबन्धित न की गई मी और वसूल न की गई वृद्धि जो उनके सकल बाजार मूल्य और उनकी अर्जन लागत में अंतर को दर्शित करती है टिप्पण के रूप में प्रकट की जाएगी।

(iii) प्रतिशेष का आरक्षितियों और वितरित लाभांशों को अंतरण के रूप में विनियोग स्वयं संक्षिप्त आमदनी लेखा में प्रकट किया जाएगा।

(iv) तुलनपत्र और आमदनी लेखा स्कीमवार निधि प्रबन्धक/प्रबंधकों और न्यासी बोर्ड द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी।

अनुसूची 8

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि विनियम, 1993

(विनियम 58)

अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणाम

संक्षिप्त राजस्व लेखा के संक्षिप्त विज्ञापन की अंतर्वस्तु

पारस्परिक निधि

.....को समाप्त हुए वर्ष/अवधि के लिए आमदनी लेखा

(लाख रुपए में)

आय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 लाभांश								
1.2 ब्याज								
1.3 विक्रय पर लाभ/विनिधानों का मोचन (अंतरस्कीम अंतरण/विक्रय से भिन्न) ;								
1.4 अंतरस्कीम अंतरण पर लाभ/विनिधानों का विक्रय								
1.5 अन्य आय (प्रकृति दर्शित करें)								
2. व्यय और हानि								
2.1 प्रबंध, न्यासीपद, प्रशासनिक और अन्य प्रवर्तन व्यय								
2.2 अवक्षयण के लिए उपबंध/विनिधानों के मूल्य में हानियां								
2.3 शंकास्पद आय के लिए उपबंध								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	शंकास्पद जमा के लिए उपबंध/चालू आस्तियां								
2.5	विक्रय पर हानि/विनिधानों का मोचन/अंतरस्कीम अंतरण/विक्रय से भिन्न)								
2.6	अंतरस्कीम अंतरण/विनिधानों का विक्रय पर हानि								
	योग								

संक्षिप्त तुलनपत्र के संक्षिप्त विज्ञापन की अंतर्वस्तु

.....पारस्परिक निधि

.....को.....का तुलनपत्र

	दायित्व	विभिन्न स्कीमों के नाम						
		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	यूनिट पूंजी							
2.	आरक्षितियां और अधिशेष							
2.1	यूनिट प्रीमियम आरक्षितियां							
2.2	अन्य आरक्षितियां							
3.	ऋण और उधार							
3.1	बैंकों से							
3.2	अन्य से							
4.	चालू दायित्व और उपबंध							
4.1	हानि/विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध							
4.2	शंकास्पद आय/जमा के लिए उपबंध							
4.3	प्रस्तावित आय वितरण							
4.4	अन्य चालू दायित्व और उपबंध							
	योग							
	आस्तियां							
1.	विनिधान†							
1.1	साधारण और अधिमानी शेयर							
1.2	प्राइवेट रूप से रखे गए डिबेंचर/बंधपत्र							
1.3	मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के पास सूचीबद्ध/सूचीबद्ध किए जाने की प्रतीक्षा में डिबेंचर/बंधपत्र							
1.4	सावधि उधार							
1.5	सरकारी प्रतिभूतियां							
1.6	अन्य							
2.	जमा							

1	2	3	4	5	6	7	8	9

2.1 अनुसूचित बैंकों के पास

2.2 अन्य के पास

3. अन्य चालू आस्तियां

3.1 नकदी और बैंक अतिशेष

3.2 अन्य

4. स्थिर आस्तियां (कम किए गए मूल्य पर)

5. आस्थगित राजस्व व्यय (जो अवलिखित न किए गए व्यय की सीमा तक होगा)

योग

टप्पण†

1. विनिधानों के मूल्यांकन की लेखा नीति प्रकट की जानी चाहिए ।

2. यदि विनिधान लागत या अवलिखित लागत पर अर्जित किए जाते हैं तो उनका सकल बाजार मूल्य ऊपर प्रत्येक प्रकार के विनिधानों की बाबत अलग-अलग कथित किया जाना चाहिए ।

3. अक्रिय विनिधानों की सकल अग्रनयण रकम और बाजार मूल्य प्रत्येक प्रकार के विनिधान के अधीन अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए । विनिधान को तब अक्रिय समझना चाहिए यदि पारस्परिक निधि के लेखा वर्ष के अंत पर के दो वर्ष से अधिक के लिए उससे लाभांश या ब्याज के कोई प्रत्यागम नहीं हुए हैं

संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के विज्ञापन की अन्य अंतर्वस्तु

1. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

2. पिछले आठ वर्ष के लिए निम्नलिखित स्कीमवार प्रति यूनिट जानकारी प्रकट करने वाले सापेक्ष ऐतिहासिक प्रति यूनिट आंकड़े :

   (क) शुद्ध आस्ति मूल्य प्रति यूनिट :

   (ख) सकल आय प्रति यूनिट जो निम्नलिखित संघटकों में विभाजित है ।

   (i) विनिधान के विक्रय पर लाभ से भिन्न आय, प्रति यूनिट ;

   (ii) अंतरस्कीम विक्रयों/विनिधान के अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट ;

   (iii) तृतीय पक्षकार को विनिधान के विक्रय पर लाभ से आय, प्रति यूनिट ;

   (iv) पिछले वर्षों की आरक्षिति से आमदनी लेखे को अंतरण, प्रति यूनिट ;

   (ग) व्यय, अवलेखन, अवक्षयण, क्रमिक अपाकरण और प्रभारों का योग, प्रति यूनिट; विनिधानों के मूल्य में कमी के लिए उपबंध, प्रति यूनिट अलग-अलग उपदर्शित किया जाएगा ;

   (घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट ;

   (ङ) विनिधानों के मूल्य में वसूल न की गई वृद्धि । अनुबंधित कमी, प्रति यूनिट ;

   (च) यदि यूनिटों का व्यापार किया जाता है या पुनर्क्रय/पुनर्विक्रय किया जाता है तो वर्ष के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतें प्रति यूनिट और कीमत अर्जन अनुपात ;

3. इस प्रभाव का एक टिप्पण कि कोई यूनिटधारक, अनुरोध करने पर, पारस्परिक निधि से उस स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अभिप्राप्त कर सकता है, जिसमें उसने विनिधान किया है ।

जी०वी० रामकृष्ण, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MUTUAL FUNDS) REGULATIONS 1993

NOTIFICATION

Bombay, the 20th January, 1993

F. No. LE|SEBI|IV|93.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 11 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India, Act, 1992, (15 of 1992) the Board hereby, with the previous approval of the Central Government makes the following regulations, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, commencement and application.—(1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall apply to all Mutual Funds except—

(i) Money Market Mutual Fund established for investments exclusively in Money market instruments; and

(ii) Mutual Funds established outside India.

2. Definitions.—In these Regulations :—

(a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India, Act 1992, (15 of 1992).

(b) "advertisement" includes every form of advertising, whether in a publication, by display of notices, signs, labels or by means of circulars, catalogues or other documents, by an exhibition of pictures or photographic films, by way of sound broadcasting or television, or in any other manner.

(c) "affiliate" includes a company—

(i) which directly or indirectly, by itself, or in combination with other persons exercises a significant control over the Asset Management Company or the Trustee, as the case may be.

(ii) in respect of which the Asset Management Company or the Trustee, directly or indirectly, by itself, or in combination with other persons exercises a significant control;

(iii) in respect of which significant control is exercised directly or indirectly—

(a) by persons or,

(b) the relatives of such person or persons whether by themselves or in combination, who exercise significant control over the Asset Management Company, or the Trustee; or

(iv) in which any director, officer or employee of the Asset Management Company is a director, officer or employee.

Explanation : for the purpose of this clause "relative" means a person as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(d) "asset management company" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and approved by the Board under Regulation 20.

(e) "close-ended scheme" means any scheme of a Mutual Fund other than an open-ended scheme where the period of scheme is specified.

(f) "custodian" means a person carrying on the activity of safe keeping of the securities or participating in any clearing system on behalf of the clients to effect deliveries of the securities;

(g) "enquiry officer" means any officer of the Board, or any other person, having experience in dealing with the problems relating to the securities market, who is authorised by the Board under Chapter VIII of these regulations;

(h) "form" means a form specified in Schedule I;

(i) "inspecting authority" means one or more persons appointed by the Board under Chapter VII of these regulations;

(j) "long term capital gain" shall have the same meaning as assigned to it in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(k) "money market instruments" includes commercial papers, trade bills, treasury bills, certificate of deposit, usance bills;

(l) "open-ended scheme" means a scheme of a Mutual Fund which is offering for sale or has outstanding any redeemable units and which does not specify any duration for redemption or repurchase of units;

(m) "mutual fund" means a fund established in the form of a Trust by a sponsor to raise monies by the Trustees through the sale of units to the public under one or more schemes for investing in securities in accordance with these regulations;

(n) "relative" means a person as defined in Section 6 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(o) "short term capital gain" shall have the same meaning as assigned to it in the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(p) "significant control" shall mean—

(i) In case of a company when any person or combination of persons directly or indirectly own, control or hold shares carrying not less than 3 per cent of the voting power of such company;

(ii) as between two companies, if the same person or combination of persons directly or indirectly, own control or hold shares carrying not less than 3 per cent of the voting power of each of the two companies;

(q) "sponsor" means any body corporate who, acting alone or in combination with another body corporate, establishes a Mutual Fund, after initiating and completing formalities therefor;

(r) "trustee" means a person who holds the property of the mutual fund in trust for the benefit of the unit-holders;

(s) "units" means the interest of the investors in a Mutual Fund Scheme, which consist of each unit representing one undivided share in the assets of a scheme;

(t) "unit holder" means a participant in a scheme of a Mutual Fund.

(2) Words and expressions used and not defined in this Regulation but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF MUTUAL FUND

3. Application for registration.—(1) Every Mutual Fund shall be registered with the Board under Regulation 9.

(2) An application for registration shall be made in Form A by the sponsor and shall be addressed to the Board.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) any application made by a sponsor prior to coming into force of these regulations containing such particulars or as near thereto as mentioned in the form shall be treated as an application made in pursuance of sub-regulation (1) and shall be dealt with accordingly :

Provided that the fees payable in respect of the applicable made under this sub-regulation shall be the same as is referred to in sub-regulation (1) of regulation 4.

4. Application fee to accompany the application.—(1) Every application for registration under Regulation 3 shall be accompanied with an application fee as specified in Schedule II by means of a cheque or bank draft payable in the name of the Board at Bombay.

5. Application to conform to the requirements.—Subject to the provision under sub-regulation (3) of regulation 3, any application, which is not complete in all respects and does not conform to the particulars specified in the form, shall be rejected :

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given an opportunity to remove within the time specified, such objections as may be indicated by the Board.

6. Furnishing information, clarification, and personal representation.—(1) Subject to regulation 8, the Board may require the sponsor to furnish such further information or clarification as may be considered necessary for grant of registration.

(2) The sponsor or his authorised representaive shall, if so required, appear before the Board for personal representation.

7. Consideration of application.—(1) The Board, on the basis of information furnished in the application and after obtaining such further information as may be required, shall as soon as possible but not later than three months from the date of receipt of all information, decide on the application for registration.

8. Conditions for registration.—For the purpose of grant of registration, the Board shall take into account all matters, which are relevant to efficient and orderly conduct of the affairs of a Mutual Fund and in particular the following, namely :—

(a) the sponsor has a sound track record and experience in the relevant field of financial services, for a minimum period of 5 years, professional competence, financial soundness and general reputation of fairness and integrity in all his business transactions ;

Explanation.—For the purposes of this clause "sound track record" shall mean networth, dividend paying capacity and the profitability of the sponsor.

(b) Mutual Fund is in the form of a Trust and the Trust Deed has been approved by the Board ;

(c) An Asset Management Company, who holds an approval of the Board has been appointed to manage the affairs of the Mutual Fund and operate the schemes of such fund ;

(d) sponsor contributes atleast 40 per cent to the networth of the Asset Management Company ;

(e) the sponsor, or any of its director or the principal officer to be employed by the Mutual Fund having the management of the affairs of its business, is or has at any time been convicted for any offence involving moral turpitude or has been found guilty of any economic offence.

9. Grant of Registration.—(1) The Board on being satisfied that the application is complete in all respects and all particulars sought have been furnished and that the Mutual Fund is eligible for registration, may register the Mutual Fund subject to—

(a) receipt of registration fee indicated in Schedule II in a manner specified by the Board ;

(b) the terms and conditions specified in Regulation 12.

(2) Where a mutual fund is found to be eligible for grant of registration, the Board shall grant a certificate in Form B.

10. Payment of annual fee.—(1) Every Mutual Fund registered under these regulations, shall pay annual fee for every financial year, from the year following the year of registration as specified in Schedule II.

(2) The annual fee shall be remitted to the Board in the manner specified in sub-regulation (1) of regulation 4 before the beginning of each financial year.

11. Failure to pay the annual fees.—(1) Where a Mutual Fund fails to remit the annual fee as provided in sub- regulation (2) of Regulation 10, the Board may prohibit the Mutual Fund from launching any new schemes till the fees has been remitted.

(2) Without prejudice to these regulations, the Board may, on being satisfied with the reasons for the delay and subject to such conditions as it may deem fit, permit the sponsor to pay the annual fee at any time within two months from the commencement of the financial year to which such fee relates.

12. Terms and conditions of registration.—The registration granted to a Mutual Fund under regulation 8, shall be subject to the Mutual Fund fulfilling the following terms and conditions :—

(a) complying with the provisions of these regulations ;

(b) informing forthwith the Board, as soon as it comes to the knowledge of the sponsor or the trustees that any information or particulars previously submitted to the Board was either misleading or false in any material respect ;

(c) informing forthwith the Board of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the registration granted by it ;

(d) the sponsor, the asset management company, trustees and the custodian comply with the provisions of the regulations ;

(e) allowing examination of directors, officers and other employees in the course of inspection and extending full co-operation in this behalf ;

(f) agreeing to produce books of accounts, documents, and such other information as sought for by the Board in the course of inspection.

13. Procedure where registration is not granted.—(1) Where an applicant does not satisfy the requirements mentioned in Regulation 8, the Board shall reject the application.

(2) The decision to reject the application shall be communicated to the applicant in writing stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) The applicant, who is aggrieved by the decision of the Board under sub-regulation (2) may, within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, apply to the Board for reconsideration of its decision.

(4) The Board shall as soon as possible, in the light of the submissions made in the application and wherever necessary, after giving an opportunity for personal hearing, convey its decision in writing to the applicant.

CHAPTER III

CONSTITUTION AND MANAGEMENT OF MUTUAL FUND

14. Manner of constitution of the mutual fund.—Every Mutual Fund shall be constituted in the form of a trust in accordance with the provisions of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882).

15. Appointment of a Trustee.—(1) A company shall be appointed as a Trustee to manage the Mutual Fund.

Provided that the Board may, having regard to special circumstances permit the appointment of a Board of Trustees, as rustees of a Mutual Fund.

(2) The appointment of the Trustee shall be subject inter alia to the following conditions, namely :—

(a) the trustees are persons who have experience in financial services and are not found guilty of any economic offence;

(b) the names of the Trustees shall be forwarded to the Board;

(c) any change in the appointment of the Trustees shall be subject to the approval of the Board;

(d) no Trustee shall retire unless another person is appointed in the place of the retiring Trustee;

(e) no person shall be a Trustee or a Director of a Trustee Company in more than one Mutual Fund;

(f) atleast fifty per cent of the Trustees shall be independent members and no such Trustee shall be an affiliate or subsidiary of the sponsor;

(g) an Asset Management Company, any of its directors, officers or employees shall not act as a Trustee of any Mutual Fund.

16. Trust Deed to be registered under the Registration Act.—(1) The instrument of trust shall be in the form of a deed duly registered under the provisions of the Indian Registration Act, 1908 executed by the sponsor in favour of the trustees named in such instrument and shall contain such clauses as are mentioned in Schedule III and such clauses which are necessary for safeguarding the interest of the unit holder.

(2) No Trust Deed shall contain a clause which has the effect of—

(i) limiting or extinguishing the obligations and liabilities of the Trust in relaton to any mutual Fund or the unit holders; or

(ii) indemnifying of the Trustees of the Asset Management Company for loss or damage caused to the unit holders by their acts of negligence or acts of commissions or omissions.

(3) The Trust Deed shall be available for inspection to any member of public at the registered office or the principal place of business of the Mutual Fund and if so desired, a copy of the same shall be made available to any person on payment of a nominal fee as may be decided by the Mutual Fund.

17. Obligations of the Trustees.—(1) The Trustees shall have a right to obtain from the Asset Management Company such information as is relevant to the mangement of the affairs concerning the operation of the Trust and may also call for periodical reports from the Asset Management Company.

(2) Where the Trustees have reason to believe that the conduct of business of the Mutual Fund is not in conformity with these Regulations they shall forthwith take such remedial steps as are necessary to rectify the situation and keep the Board informed of the same with full particulars.

(3) The Trustees shall take such steps as are necessary to get executed all documents, which are necessary to secure the acquisitions, disposals and also ensure that the transactions entered into by the Asset Management Company have been properly made and are in accordance with these Regulaions.

(4) The Trustees shall be responsible for ensuring that the Asset Management Company complies with these Regulations.

(5) The Trustee shall enter into an agreement with the Asset Management Company which shall contain the clauses as specified in Schedule IV and such other clauses as are necessary for the purpose of investment of the funds of the Mutual Fund and such agreement is approved by the Board.

(6) The Trustees shall be accountable for and be the custodian of the property of the respective schemes and shall hold the same in trust for the benefit of the unit holders in accordance with these Regulations and the instruments of trust.

(7) The Trustees shall take steps to ensure that the transactions concerning Mutual Funds are in accordance with the provisions of the Trust Deed and Schedule III of these Regulations.

(8) The Trustees shall be responsible for calculalation of any income due to be paid to the Mutual Fund and also of any income received in the Mutual Fund for the holders of the units of any scheme in accordance with these Regulations and the Trust Deed.

(9) The Trustees shall receive a quarterly report from the Asset Management Company and submit a six monthly report to the Board on the activities of the Mutual Fund.

(10) The Trustees shall call for a meeting of the unit holders—

(a) whenever required to do so by the Board in the interest of the unit-holders;

(b) on a requisition of three-fourth of the unit holders of any scheme or of all the schemes together; or

(c) when the majority of the Trustees decide to wind up or prematurely redeem the units or modify any scheme.

18. Application by an Asset Management Company.—(1) The application for the approval of the Asset Management Company shall be made in Form A.

(2) The Memorandum and Articles of Association of the Asset Management Company shall be submitted to the Board alongwith the application for approval under sub-regulation (1).

(3) The provisions of regulations 5, 6 and 7 shall, so far as may be, apply to the application made under sub-regulation (1) of this regulation as they apply to the application for registration of a Mutual Fund.

19. Appointment of an Asset Management Company.—(1) The Sponsor or, if so authorised by the trust deed, the trustee, shall appoint an Asset Management Company, who is approved by the Board to manage the affairs of the Mutual Fund and operate the schemes of such Fund.

(2) The appointment of an Asset Management Company can be terminated by majority of the Trustees, or by seventy-five per cent of the unit-holders of the scheme.

(3) Any change in the appointment of the Asset Management Company shall be subject to prior approval of the Board.

20. Approval of the Asset Management Company.—For grant of approval of the Asset Management Company, the Board may take into account all matters, which are relevant to efficient and orderly conduct of the affairs of the Asset Management Company and in particular the following, namely :—

(a) the existing Asset Management Company has a sound track record, general reputation and fairness in transactions ;

Explanation : For the purpose of this clause sound track record shall mean the networth, the dividend paying capacity and the profitability of the Asset Management Company.

(b) the Directors of Asset Management Company are persons of high repute and standing having atleast 5 years of professional experience in the relevant fields, such as, portfolio management, investment analysis, financial administration ;

(c) the Board of Directors of the Asset Management Company has atleast fifty per cent directors, who are not affiliate of, or associated in any manner with, the sponsor or any of its subsidiaries or the Trustees;

(d) the Chairman of the Asset Management Company should not be director of a Trustee Company or Trustee of Board of Trustees;

(e) the Asset Management Company shall have a minimum networth of Rupees Five crores.

Explanation : For the purposes of this clause net worth means the paid up capital of the company and free reserves.

21. Terms and conditions of approval of the Asset Management Company.—The grant of approval of the Asset Management Company under Regulation 20 shall be subject to the following terms and conditions, namely :—

(a) the Asset Management Company has professionals with adequate experience in the management of Mutual Funds;

(b) any director of the Asset Management Company shall not hold the position of a director in another Asset Management Company or of a Trustee in any Mutual Fund;

(c) the Asset Management Company shall forth with inform the Board of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the approval granted by it;

(d) no change in the management of the Asset Management Company shall be made without prior approval of the Board;

(e) the Asset Management Company undertakes to comply with these regulations.

22. Procedure where approval is not granted.—(1) Where an application made under Regulation 18 for grant of approval does not satisfy the requirements laid down in Regulation 20, the Board may reject the application.

(2) The decision to reject the application shall be communicated to the applicant in writing stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) The Asset Management Company, which is aggrieved by the decision of the Board under sub-regulation (1), may, within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, apply to the Board for reconsideration of its decision.

(4) The Board shall as soon as possible in the light of the submissions made in the application under sub-regulation (3) and wherever necessary, after giving an opportunity for personal hearing, communicate its decision in writing to the applicant.

23. Restrictions on business activities of the Asset Management Company.—No Asset Management Company shall—

(a) act as a Trustee of any Mutual Fund;

(b) undertake any other business activities except activities like financial services consultancy, exchange of research on commercial basis as long as any of such activities are not in conflict with the activities of the Mutual Fund;

(c) act as an Asset Management Company for any other Mutual Fund;

(d) permit any director of the Asset Management Company to hold the position of a Trustee in a Trust or act as a Director in any other Asset Management Company.

24. Asset Management Company and its obligations.—(1) The Asset Management Company shall take all reasonable steps and exercise all due diligence and ensure that the investment of funds pertaining to any scheme is not contrary to the provisions of these Regulations and the trust deed.

(2) The Asset Management Company shall be responsible for the acts of commissions and omissions by its employees or the persons whose services have been obtained by that Company.

(3) The Asset Management Company shall submit to the Trustee, quarterly reports on March 31, June 30, September 30 and December 31 on its activities and the compliance with these regulations.

(4) The Asset Management Company shall be expected to meet all its expenses and make provision for—

(a) Office space, personnel including security analysts and portfolio managers;

(b) regulatory compliance and reporting services;

(c) preparation and distribution of the Fund's prospectus, annual and periodic reports and other investor communications;

(d) advertising, and other sales material;

(e) accounting services and preparation of tax returns; and

(f) insurance coverage and other services.

(5) The Trustees of the Mutual Fund may terminate the assignment of the Asset Management Company at any time after receiving a reasonable notice in writing from the Asset Management Company :

Provided that the termination shall become effective only after the Trustees of the Mutual Fund have accepted the termination of assignment and communicated their decision in writing to the Asset Management Company.

(6) Notwithstanding anything contained in any contract or agreement, the Asset Management Company or its directors or the officers shall not be absolved of any civil liability to the Mutual Fund for their acts of commission and omissions, while holding such position or office.

25. Custodian Services.—The Mutual Fund shall have a custodian who is not in any way associated with the Asset Management Company.

26. Approval of Custodian.—(1) The Custodian shall make an application in Form A for registration.

(2) The provisions of regulations 5, 6 and 7 shall, so far as may be, apply to the application made under sub-regulation (1) of this regulation.

(3) For grant of approval of the Custodian, the Board may take into account all matters which are relevant to efficient and orderly conduct of the affairs of the custodian and in particular the following namely :—

(a) the existing custodian has a sound track record, general regulation and fairness in transactions;

(b) the applicant himself or the employees are persons who have experience in providing custodian services;

(c) the applicant has the infrastructure, office space and personal to provide custodian services;

(d) the applicant or the director, partner are not found guilty of any economic offence;

(e) the applicant is not the sponsor or trustee, of any Mutual Fund.

(4) The grant of approval to the custodian shall be subject to the following terms and conditions, namely :—

(a) the custodian, or its directors, partners will not in any way be directly or indirectly affiliated or associated with any Asset Management Company;

(b) the custodian will not act as sponsor or the trustee of any Mutual Fund.

(c) the custodian will not act as a custodian of more than one Mutual Fund without the prior approval of the Board.

CHAPTER IV

SCHEMES OF MUTUAL FUNDS

27. Procedure for announcement of schemes.- -(1) No scheme shall be anhuonced by the Asset Management Company unless such scheme is approved by the Trustees and the Board.

(2) For consideration of the approval of the scheme under sub-regulation (1), the Asset Management Company shall forward to the Board, in draft, the particulars of the scheme, prospectus, letter of offer and material relevant to the scheme.

(3) On consideration of the documents referred to in sub-regulation (2), the Board may require the Asset Management Company to carry out such modifications as it deems fit in the proposed scheme.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), the Asset Management Company may announce the scheme, if no suggestions are received from the Board within thirty days from the date of receipt of the documents referred to in sub-regulation (2) by it.

28. Contents of Publicity Material.—(1) The letter of offer and other advertising materials in respect of every scheme shall be in conformity with the provisions of Schedule V.

Provided that no letter of offer or brochure or any advertisement material shall be issued unless it is approved by the Board.

(2) The marketing and publicity brochures for each scheme shall properly disclose the investment objectives, the method and periodicity of valuation of investments, the exact method and periodicity of sales, purchases and other details considered by the Board to be essential for the protection of the investors.

29. Misleading statements.—The letter of offer or brochure or advertisement shall not in any way be misleading or contain any statements or opinions which are incorrect or false.

30. Listing of Schemes.—An application for listing of units of close-ended schemes shall be made to the stock exchange immediately on receipt of the approval for the scheme from the Board.

31. Minimum amount to be raised.—(1) Minimum amounts to be raised in respect of each closed-ended and open-ended scheme shall be Rupees twenty crores and Rupees fifty crores respectively.

Provided that there shall be no maximum limit on the amount which the Mutual Fund may collect under an open ended scheme.

32. Scheme to be kept open.—No Mutual Fund may keep a close ended scheme open for subscription for more than forty-five days :

Provided that, in respect of an open ended scheme the minimum amount referred to in sub-regulation (1) of Regulation 31 shall be collected within forty-five days of the opening of subscription list.

33. Refunds.—(1) The Trustees and Asset Management Company shall be liable to refund to the investors the entire amount collected if it fails to collect a minimum amount or sixty per cent of the targeted amount referred to in Regulation 31.

(2) Any amount refundable under sub-regulation (1) shall be returned forthwith, but, in any case not later than six weeks from the date of the closure of the subscription list by Registered A.D. and marked "A/C Payee".

(3) In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Mutual Fund shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of fifteen percent per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the subscription list.

34. Uni certificates.—Any investor who makes an application for the purchase of the units, and whose application has not been rejected shall be issued as soon as possible, but not later than ten weeks from the date of closure of the subscription list in the case of a close ended scheme, and six weeks in the case of an open ended scheme, a certificate specifying the number of units allotted to him.

35. Transfer.—(1) The units certificate unless otherwise restricted or prohibited under the scheme, shall be freely transferable by act of parties or by operation of law.

(2) The Asset Management Company shall, on lodgement of instrument of transfer together with relevant Unit Certificates, register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within thirty days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

36. Winding up.—(1) An open-ended scheme shall be wound up, if the total number of units outstanding after re-purchases at any point of time falls below fifty per cent of the originally issued number of units.

(2) A close-ended scheme of a Mutual Fund may be wound up—

(a) on the expiry of the period of time if any, fixed for the duration of the scheme by that scheme; or

(b) on the happening of any event which, in the opinion of the Trustees, requires the scheme to be wound up; or

(c) if seventy five per cent of the unit holders of a scheme pass a resolution that the scheme be wound up; or

(d) if the Board so directs in the interest of the unitholders.

(3) Where a scheme is to be wound up in pursuance to sub-regulation (1) or sub-regulation (2), the Trustees shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme—

(a) to the Board; and

(b) in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating at the place where the Mutual Fund is established.

37. Effect of winding up.—On and from the date of the advertisement of the winding up the Trustee or the Asset Management Company as the case may be, shall—

(a) cease to carry on any business activities;

(b) cease to create and cancel units in the scheme;

(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

38. Procedure and Manner of winding up.—(1) The Trustee shall call a meeting of the unit holders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unit holders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

(2) (a) The Trustee or the person authorised under sub-regulation (1) shall dispose of the assets of the scheme concerned in the best interest of the unit holders of that scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of clause (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unit holders in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(3) On the completion of the winding up, the Trustee shall forward to the Board and the unit holders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the fund before winding up, expenses of the fund for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the fund;

(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, the application of the provisions of these regulations in respect of disclosures of half yearly reports and annual reports shall continue.

39. Winding up of the scheme.—After the receipt of the report under sub-regulation (3) of Regulation 38, if the Board is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

CHAPTER V

INVESTMENT OBJECTIVES AND VALUATION POLICIES

40. Investment objective.—(1) The moneys collected under any scheme of a Mutual Fund shall be invested only in transferable securities whether in the money market or in the capital market or in privately placed debentures or securitised debts.

41. Investment restriction.—Any investments to be made in pursuance to Regulation 40 shall be invested subject to the investment restriction mentioned in Schedule VI.

42. Option Trading.—The Funds of a Mutual Fund shall not in any manner be used in option trading or in short selling or carry forward transactions.

43. Method of valuation of investments.—(1) Every Mutual Fund shall, in respect of every scheme, indicate the method for valuation of the invtstments as approved by the Board.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1) the value of investments, which are not listed in the markets shall be periodically reviewed by the Trustees and commented upon by the auditors in the annual report of the Mutual Fund.

44. Valuation of untraded securities.—Where the investments, are listed but not traded during the period of one month, prior to the date of valuation, the Asset Management Company shall make a fair and independent valuation, so as to reflect its true realisable value, subject to the condition that the method of valuation shall be approved by the Trustees and commented upon by the auditors in the annual report of the Fund.

45. Computation of Net Asset Value—(1) Every Mutual Fund shall follow a formula, approved by the Board, for computing the Net Asset value (NAV) for each of its Schemes.

(2) The net Asset Value shall be calculated and published at least in two daily newspapers at intervals of not exceeding—

(a) one month in respect of open ended schemes; and

(b) three months in respect of close ended schemes.

46. Pricing of Units—(1) The scheme may also provide for the price at which the units may be subscribed or sold to the independent participants in the scheme and the price at which such units may at any time be repurchased by the Mutual Fund.

(2) The Mutual Fund shall periodically publish atleast once a week the sale and repurchase pprice of units in a manner as would make the information accessible to all the investors concerned.

(3) While determining the purchase price and sale price of the units in any scheme, the Mutual Fund shall ensure that the dfference between these two prices does not exceed seven per cent of the sale price.

CHAPTER VI

GENERAL OBLIGATIONS OF THE MUTUAL FUND

47. To maintain proper books of accounts and records etc.—(1) Subject to sub-regulation (2), every Mutual Fund for each scheme shall keep and maintain proper books of accounts, records and documents.

Provided that books of accounts should be such as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of the Mutual Fund and in particular give a true and fair view of the state of affairs of the Fund :

Provided further that the Mutual fund shall intimate to the Board the place where the books of accounts, records and documents are maintained.

(2) The Mutual Fund shall also follow the accounting policies and standards so as to provide appropriate details of the schemewise disposition of the the assets of the fund at the relevant accounting date and the performance during that period together with information regarding distribution or accumulation of income accruing to the unit holder in a fair and true manner.

48. Accounting year.—The accounting year for all the schemes shall end on the same date which shall be March 31 :

Provided that, for a new scheme commenced during the accounting year, the disclosure and reporting requirements would apply for the period beginning from the date of its commencement and ending on the last date of the relevant accounting year of the Mutual Fund.

49. Classification of earnings.—Every Mutual Fund shall, in its accounts, make a disclosure by segregating its earnings into "short-term capital gains" and "Long-term capital gains" and other income.

50. Limitation on expenses—(1) All expenses should be clearly identified and appropriated to the individual schemes.

(2) The Asset Management company may charge the Mutual Fund with Investment Management and Advisory Fees which are fully disclosed in the prospectus subject to the following namely :—

(i)(a) One and a quarter of one per cent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme concerned, as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and

(b) One per cent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

(ii) In addition to the fees mentioned in clause (i) above, the Asset Management Company may charge the Mutual Fund with the following expenses namely :—

(a) initial issue costs of sponsoring the fund and its schemes;

(b) recurring expenses including—

(i) marketing and selling expenses including agent's commission, if any,

(ii) brokerage and transaction costs,

(iii) registrar services for transfer of shares sold or redeemed :

Provided that initial issue expenses in respect of any one scheme shall not exceed six per cent of the fund raised under that scheme.

(3) The expenses referred to in sub-regulation (2) and any fees payable to Asset Management Company shall be charged to the Mutual Fund.

51. Distribution of dividend and limits thereof—Every Mutual Fund shall, as soon as may be, after the closing of the annual accounts, distribute by way of dividend to the

holders of the units in accordance with these regulations, an amount, which shall not be less than ninety per cent of the profits earned during the year in respect of that scheme :

Provided that nothing in this sub-regulation shall apply to a cumulative investment scheme or a growth oriented scheme in respect of which full disclosure of the nature of the scheme has been made to the investors at the time of the offer.

52. Provision for depreciation, etc.—(1) Before declaring dividend in respect of any scheme, every Mutual Fund shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the method of depreciation in the notes to the accounts.

(2) Every Mutual Fund shall create in respect of every open ended scheme, a dividend equalisation reserve by suitable appropriation from the income of that scheme.

(3) The dividend warrants shall be despatched within forty-two days of the declaration of the dividend.

53. Auditor's Report—(1) Every Mutual Fund shall have its accounts audited by an auditor who shall be different from the auditor of the Asset Management Company.

Explanation : for the puprpopses of this sub-regulation and regulation 65, 'auditor" means a person who is qualified to audit the accounts of a company under section 224 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(2) An auditor shall be appointed by the Trustees.

(3) The auditor shall forward his report to the trustees and such report shall from part of the Annual Report of the Mutual Fund.

(4) The auditor's report shall comprise of the following :—

(a) a certificate to the effect that—

(i) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit.

(ii) the balance sheet and the revenue account give a fair and true of the scheme, state of affairs and surplus or deficit in the Fund for the accounting period to which the Balance Sheet or, as the case may be the Revevnue Account relates.

54. Publication of Annual Report and summary thereof—The schemewise Annual Report of a Mutual Fund or an abridged summary thereof shall be published through an advertisement as soon as may be but not later than six months from the date of closure of the relevant financial year :

Provided that the Annual Report and abridged summary thereof shall contain details as specified in Schedule VII and VIII and such other details as are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the Mutual Fund :

Provided further that, whenever the report is published in summary from such publication shall carry a note that full Annual Report shall be available for inspection at the Head Office of the Mutual Fund and if so required, a copy thereof shall be made available on payment of such nominal fees as may be specified by the Mutual Fund :

55. Periodic disclosures.—(1) The Mutual Fund, the Asset Management Company, the Trustees, Custodian, Sponsor of the Mutual Fund shall make such disclosures or submit such documents as they may be called upon to do so by the Board.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the Mutual Fund shall furnish the following periodic reports to the Board namely :—

(a) Copies of the duly audited annual statements of account including the balance sheet and the profit and loss account for the fund and in respect of each scheme, once a year;

(b) a copy of six monthly unaudited accounts;

(c) a quarterly statement of movements in net assets for each of the schemes of the fund;

(d) a quarterly portfolio statement, including changes from the previous periods, for each scheme.

56. Disclosures to the investors.—The Trustees shall be bound to make such disclosures to the investor as are essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

57. Annual Report to be forwarded to the Board.—Every Mutual Fund shall within six months from the date of closure of each financial year forward to the Board a copy of the Annual Report and other information including details of investments and deposits held by the Mutual Fund so that the entire schemewise portfolio of the Mutual Funds is disclosed to the Board.

58. Half Yearly disclosures.—A Mutual Fund shall before the expiry of two months from the close of each half year that on 31st March and on 30 September publish through an advertisement, its unaudited financial results in one english daily newspaper circulating in the whole of India and in a newspaper published in the language of the region where the Head Office of the Mutual Fund is situated :

Provided that the half-yearly unaudited report referred in this sub-regulation shall contain details as specified in Schedule VIII and such other details as are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the Mutual Fund.

59. Mutual Fund to take or give scrips on transfer.—(1) Every Mutual Fund shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(2) Evvery Mutual Fund shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Mutual Fund on account of the concerned scheme, wherever investments are intended to be of long term nature.

CHAPTER VII

INSPECTION AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS

60. Right of inspection by the Board.—(1) The Board may appoint one or more persons as inspecting authority to undertake the inspection of the books of accounts, records and documents of the Mutual Fund, the Trustees, Asset Management Company and Custodian for any of the purposes specified in sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows, namely :—

(a) to ensure that the books of account and other books are being properly maintained;

(b) that the provisions of the Act and regulations are being complied with;

(c) to review the role of the Mutual Fund, Trustees or Asset Management Company in the case of take-overs;

(d) to investigate into the complaints received from investors, other mutual funds, or any other person on any matter having a bearing on the activities of

the Mutual Fund, Trustees, Asset Management Company and Custodian; and

(e) to investigate suo-moto in the interest of securities business or invesors' interest into the affairs of the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustees, Custodians.

61. Notice before inspection.—(1) Before undertaking an inspection under regulation 60 the Board shall give a minimum seven days notice to the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustees or Custodian as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), where the Board is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustees and Custodian as the case may be, be taken up without such notice.

(3) On being empowered by the Board, the inspecting authority shall undertake the inspection and the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustees and Custodian against whom an inspection is being carried out shall be bound to discharge his obligations as provided under regulation 62.

62. Obligations of Mutual Fund on inspection.—(1) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer and employee of the Mutual Fund, Asset Management Company, Custodian and Trustee as the case may be who is being inspected to produce to the inspecting authority such books of account and other documents in his custody or control and furnish him with the statements and information relating to the Mutual Fund and its activities within such time as the inspecting authority may require.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the Mutual Fund shall allow the inspecting authority to have a reasonable access to the premises occupied by such Mutual Fund or by any other person, on his behalf or who may be in any way concerned with the activity of the Mutual Fund during working hours and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the Mutual Fund or any other person and also provide copies of documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant.

(3) The inspecting authority shall in the course of inspection, be entitled to examine or records statements of any members, director, partner, proprietor and employee or any person in any way associated with the activities of the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian.

(4) It shall be the duty of every director, proprietor, partner, officer or employee of the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection.

63. Submission of report to the Board.—The inspecting authority shall, as soon as may be possible, submit an inspection report to the Board.

64. Communications of findings, etc. to the Mutual Fund.—The Board shall after consideration of the inspection report communicate the findings to the concerned person to give him an opportunity of being heard before any action is taken by the Board on the findings of the inspecting authority.

65. Appointment of Auditor.—Notwithstanding anything contained in any regulation of this chapter, the Board shall have the power to appoint an auditor to investigate into the books of accounts or the affairs of the Mutual Fund, Trustee or Asset Management Company or Custodian on the basis of the report of the investigating authority under regulation 63 :

Provided that the Auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as stated in Regulation 60 and the obligation of the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee, Custodian and their respective employees in Regulation 62, shall be applicable to the investigation under this regulation.

CHAPTER VIII

PROCEDURE FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

66. Liability for action in case of default.—(1) Whoever,—

(a) fails to comly with any condition subject to which registration has been granted; or

(b) contravenes any of the provisions of the Act or regulations,

shall be liable to any of the penalties specified in sub-regulation (2).

(2) The penalties referred to in sub-regulation (1) may be :—

(a) suspension of registration after the enquiry for a specified period;

(b) cancellation of registration;

(c) prohibition against floating of any further schemes;

(d) prohibiting the Asset Maagement Company from acting as such for a Mutual Fund;

(e) prohibiting against establishing any other Mutual Fund :

Provided that, no order for suspension may be passed without prior concurrence of—

(i) The Reserve Bank of India in respect of Mutual Funds sponsored by scheduled banks;

(ii) The Central Government in respect of any other Mutual Fund.

67. Suspension of registration of Mutual Fund.—(1) A penalty of suspension of registration of a Mutual Fund may be imposed if—

(i) the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee of that Mutual Fund violates the provisions of the Act or regulations;

(ii) the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee of that Mutual Fund :

(a) fails to furnish any information related to his activities as required under these rgulations;

(b) furnishes wrong or false information;

(c) does not submit periodical returns as required under these regulations; and

(d) does not co-operate in any enquiry conducted by the Board;

(iii) Mutual fund fails to resolve the complaints of the investors or fails to give a satisfactory reply to the Board in this behalf;

(iv) Mutual Fund indulges in manipulating or price rigging or cornering activities;

(v) Mutual Fund is guilty of misconduct or improper or unbusinesslike or unprofessional conduct which is not in accordance with the Code of Conduct specified in Schedule IX;

(vi) Asset Management Company of the Mutual Fund fails to maintain the networth in accordance with the provisions of regulation 20;

(vii) Mutual Fund fails to pay the fees;

(viii) Mutual Flad violaes the conditions of registration;

(ix) Mutual Fund, Asset Management Company or Trustees of that Mutual Fund does not carry out its obligations as specified in the regulations.

68. Cancellation of registration of Mutual Fund.—A penalty of cancellation of registration of a Mutual Fund may be imposed if—

(i) the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee of that Mutual Fund indulges in deliberate manipulation or price rigging or cornering activities affecting the securities market and the investors interest;

(ii) the financial position of the Mutual Fund deteriorates to such an extent that the Board is of the opinion that its continuance is not in the interest of investors and other Mutual Funds;

(iii) the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or custodian is guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence.

69. Manner of order of suspension and cancellation.—No order of penalty of suspension or cancellation shall be imposed except after holding an inquiry in accordance with the procedure specified in Regulation 70.

70. Manner of holding an inquiry.—(1) For the purpose of holding an inquiry under Regulation 69, the Board may appoint an enquiry officer.

(2) The enquiry officer shall issue a notice to the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian, as the case may be, at the registered office or the principal place of business of the concerned person.

(3) The Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian may within thirty days from the date of receipt of such notice furnish to the enquiry officer a reply together with copies of documentary or other evidence relied on by him or sought by the Board from him.

(4) The enquiry officer shall give to the concerned person a reasonable opportunity of being heard to enable him to make submissions in support of his reply made under sub-regulation (3).

(5) Before the enquiry officer the person against whom an enquiry is being conducted may either appear in person or through any person duly authorised his behalf;

Provided that no lawyer or advocate shall be permitted to represent such person at the enquiry,

Provided further that where a lawyer or an advocate has been appointed by the Board as a presenting officer under sub-regulation (6), it shall be lawful for the Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian to present its case through a lawyer or advocate.

(6) If it is considered necessary, the enquiry officer may request the Board to appoint a presenting officer to present its case.

(7) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the party submit a report to the Board and recommend the penalty to be awarded as also the grounds on the basis of which the penalty proposed in the notice is justified.

71. Show cause notice and order.—(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Board shall consider the same and issue a show-cause notice as to why the penalty as proposed by the enquiry officer should not be imposed.

(2) The Mutual Fund, Asset Management Company, Trustee or Custodian as the cast may be shall within twenty-one days of the date of the receipt of the show-cause notice send a reply to the Board.

(3) The Board, after considering the reply, to the show-cause notice, if received, shall as soon as possible but not later than thirty days from the receipt of the reply, if any, pass such order as it deems fit.

(4) Every order passed under sub-regulation (3) shall be self contained and give reasons for the conclusions stated therein including justification of the penalty imposed by that order.

(5) The Board shall send a copy of the order under sub-regulation (3) to the Mutual Fund and the Central Government.

72. Effect of suspension and cancellation of registration of Mutual Fund.—(1) On and from the date of the suspension, the Mutual Fund shall cease to carry on any activity related to mutual fund during the period of suspension.

(2) On and from the date of cancellation the Mutual Fund shall cease to carry on any activity related to that mutual fund.

73. Publication of order suspension.—The order of suspension or cancellation of registration passed under sub-regulation (3) of regulation 71, shall be published in atleast two daily newspapers by the Board.

74. Appeal.—Any person aggrieved by an order of the Board may prefer an appeal to the Central Government.

SCHEDULE I—FORMS

FORM A

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulations 3 and 18)

APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION
NAME OF APPLICANT

CONTACT PERSON/—————. ——————
NAME OF THE COMPLIANCE OFFICER ——————

TELEPHONE NO : ——————— FAX NO.————
INSTRUCTION FOR FILLING UP FORM:—

1. Applicants must submit a completed application form together with appropriate supporting documents to the Board.
2. It is important that this application form should be filled in accordance with the regulations.
3. Application for registration will be considered provided it is complete in all respects.
4. Answers must be typed.
5. Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.
6. The application must be signed and all signatures must be original.

ANNEXURE

SPONSOR OF THE MUTUAL FUND

(1) Name of the sponsor

(2) Address of the registered Office/Correspondence Address
Telephone Nos.
Telex Nos.
Fax Nos.

(3) Name of the contact person

(4) Date and place of incorporation of the sponsor (enclose a copy of certificate of incorporation)

(5) Objects of the sponsor
(enclose copy of the Memorandum and Articles of Association)
Main Objects
Ancillary Objects

(6) Capital Structure and Shareholding Pattern

(7) Present line of business activities
Number of years in that line

(8) Condensed Financial Information as per Annexures IA and IB
(enclosed balance sheets and profit and loss account for five years)

(9) Accounting Policies
(furnish description of significant accounting policies)

(10) Systems and Procedures
(furnish description of systems and procedures in the company and essential internal controls in order to carry on the business of the company)

(11) Names of the Associate Organisations/Group Companies/Subsidiaries, etc.

(12) Management of the Sponsor
Board of the company with names, experience, qualification and profession of the Directors
Names of key personnel
Organisational structure
Board of Directors of associate organisations, companies and subsidiaries

(13) Names and Addresses of the Bankers of the Sponsor

(14) Names and Addresses of the Auditors of the Sponsor

(15) Court Cases/Litigations in which the Sponsor may have been involved in the last three years

ANNEXURE IA

CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(A) Income statement

(Rs.)

	YEARS				
	1	2	3	4	5
INCOME :					
Dividend					
Trading					
Management fee					
Other Income					
Total					
EXPENSES :					
Director's remuneration					
Trusteeship fees					
Custodian fees					
Registar's fees					
Other expenses					
Total					
Gross Profit					
Depreciation					
Net Profit before tax					
Tax					
Profit after tax					
Dividends					
Retained Earnings					

ANNEXURE IB

(B) Assets and Liabilities

(Rs)

	YEARS				
	1	2	3	4	5
ASSETS					
Fixed Assets					
Gross					
Depreciation					
Net value					
CURRENT ASSETS					
Investments*					
Others (please specify)					
Cash and bank balances					
LESS					
Current liabilties and Provisions					
NET WORTH					
REPRESENTED BY :					
Issued and Paid up capital					
Free Reserves (excluding revaluation reserves)					
TOTAL					

* provide full particulars of investments

ANNEXURE II

TRUSTEESHIP OF THE MUTUAL FUND

(1) If the Trusteeship of the mutual fund is with a trust company then please furnish the following particulars

(a) the draft Articles and Memorandum of Association for approval

(b) Objects of the Trust Company

(c) Board of Directors of the Trustee Company with age, experience and qualification

(d) Key personnel

(e) Systems and procedures, record maintenance, etc.

(f) Names of auditors and bankers

(2) If the trusteeship of the mutual fund is with an existing debenture trustee, bank or Financial Institution

then please furnish the following particulars

(a) Name of the Institution

(b) Address/telephone/telex/fax nos

(c) Name of the contact person

(d) Background information i.e. (number of companies, trusts for which it has or has been acting as trustees, names of those companies, trust, number of years of experience as trustees; total volume of business, trusteeship fee record for last three years, organisational infrastructure to handle trusteeship function including record maintenance, computer facilities, in case of debenture trustees also furnish the number of defaulting companies, number of cases of default in payment of interest and principal and action taken by the debenture trustees)

(3) If the trusteeship of the mutual fund is with a Board of Trustees then please furnish the following particulars

(a) Names of the members of the Board of Trustees

(b) Age, experience, qualification and profession

(c) Relationship of the members of the Board of Trustees with sponsor or any associate of the sponsor

(4) Draft Trust Deed

The draft trust deed should inter alia provide for

(a) Responsibilities, obligations and rights of the trustees for the protection of the fund's assets

(b) A statement that investments should be of the permitted kind and within set limits

(c) Responsibilities, obligations and rights of the fund manager i.e. the Asset Management Company.

(d) Policies for investments, creation, issue and cancellation of units; pricing and redemption of units, listing of units in case of close-ended schemes, expenses of the fund including payment of fees and distribution of income and gains and accounting.

(e) Policies for disclosures of scheme objectives and investment objectives in offer documents and advertisements and annual and half-yearly reporting requirements to the investors of various schemes of the Fund.

(f) Right of the trustees to obtain necessary information from Asset Management Company besides obtaining a qarterly report from the Asset Management Company.

(g) Right to make spot checks on the Asset Management Company regarding pricing of units and payment into and out of the Fund and proper accounting of the income of the fund and charging of expenses as permitted, distribution as permited

(h) Public availability of the trust deed

ANNEXURE III

ASSET MANAGEMENT COMPANY

IN CASE THE ASSET MANAGEMENT COMPANY (hereinfater referred to as AMC) IS NOT AN EXISTING COMPANY

(1) Name of the AMC

(2) Proposed registered office/correspondence Address

Telephone Nos.

Telex Nos.

Fax Nos.

(3) Name of the contact person

(4) Proposed objects of the AMC (enclose copy of the draft Articles and Memorandum of Association for approval)

MAIN OBJECTS

ANCILLARY OBJECTS

(5) (a) Proposed Capital Structure

(b) The net worth of the company to be represented by (necessary auditors certificate to be furnished)

(6) proposed systems and procedures for the AMC (furnish description of systems and procedures proposed in the company and essential internal controls in order to carry on the business of the company)

(7) Name of the associate organisation/group companies/ subsidiaries, etc. of AMC.

8. The Trust Deed shall provide for the duty of the Trustee to take reasonable care to ensure that the Funds under the schemes floated by and manager by the Asset Management Company are in accordance with the Trust Deed and Regulations.

9. The Trust Deed shall provide for the power of the Trustees to dismiss the Asset Management Company under the specific events only with the approval of Board in accordance with the Regulations.

10. The Trust Deed shall provide that the Trustees shall appoint a Custodian approved by Board in accordance with Regulations and shall be responsible for the supervision of its activities in relation to the Mutual Fund and shall enter into an Agreement with the Custodian for this purpose.

11. The Trust Deed shall provide that the auditor for the Mutual Fund shall be different from the Auditor of the Asset Management Company.

12. The Trust Deed shall provide for the responsibility of the Trustees to supervise the collection of any income due to be paid to the scheme and for claiming any repayment of tax and holding any income received in trust for the holders in accordance with the Trust Deed, Regulations.

13. Broad policies regarding allocation of payments to capital or income must be indicated in the Trust Deed.

14. The Trust Deed shall also explicitly forbid the acquisition of any asset out of the Trust property which involves the assumption of any liability which is unlimited or shall not result in encumbrance of the Trust property in any way.

15. The Trust Deed shall forbid the Mutual Fund and the AMC, to make or guarantee loans or take up any activity in contravention of the Regulations except with the prior approval of Trustees and Board.

16. Trusteeship fee, if any, payable to Trustees shall be provided in the Trust Deed.

17. The Trust Deed shall provide that no amendment to the Trust Deed shall be carried out without the prior approval of the Board and unitholders is obtained.

18. The removal of the Trustee in all cases would require the prior approval of the Board.

ANNEXURE IIIA

CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(A) INCOME STATEMENT

(Rs.)

	YEARS				
	1	2	3	4	5
INCOME :					
Dividend					
Trading					
Management fee					
Other Income					
Total					
EXPENSES :					
Director's remuneration					
Trusteeship fees					
Custodian fees					
Registrar's fees					
Other expenses					
Total					
Gross Profit					
Depreciation					
Net profit before tax					
Tax					
Profit after tax					
Dividends					
Retained Earnings					

ANNEXURE IIIB

(B) ASSETS AND LIABILITIES

(Rs.)

	YEARS				
	1	2	3	4	5
ASSETS					
Fixed Assets					
Gross					
Depreciation					
Net value					
CURRENT ASSETS					
Investment*					
Others(please specify)					
Cash and bank balances					
LESS					
Current Liabilities and Provisions					
NET WORTH					
REPRESENTED BY :					
Issued and Paid up capital					
Free Reserves (excluding revaluation reserves)					
TOTAL					

*provide full particulars of investments

ANNEXURE IV

CUSTODIAN

(1) NAME OF THE INSTITUTION

(2) ADDRESS/TELEPHONE/TELEX/FAX NOS

(3) NAME OF THE CONTACT PERSON

(4) BACKGROUND INFORMATION i.e. (number of companies, trusts for which it has or has been acting as custodians, names of those companies; trust; number of years of experience as custodians, total volume of business handled so far, fees received, organisational infrastructure to handle trusteeship function including record maintenance computer facilities.

SCHEDULE II

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulations 4 and 10)

APPLICATION FEES—ANNUAL FEES

Application Fees Payable by Mutual Funds—Rupees Five Thousand

Registration Fees Payable by Mutual Funds—Rupees Ten lacs

Annual Fees Payable by Mtual Funds—Rupees One lac

SCHEDULE III

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1992

(regulation 16)

CONTENTS OF THE TRUST DEED

The Trust Deed shall contain the following clauses namely :—

1. (1) A trustee in carrying out his responsibilities as a member of the Board of Trustees of the Mutual Fund, shall maintain arm's length relationship with other companies, or institutions or financial intermediaries or any body corporate with which he may be associated.

(ii) A member of the Board of Trustees shall not participate in the meetings of the Board of Trustees or in any decision making process for any investments in which he may be interested.

(iii) All members of the Board of Trustees shall furnish to the Board, the interest which he may have in any other company, or institution or financial intermediary or any corporate by virtue of his position as director, partner or with which he may be associated in any other capacity.

2. Minimum number of Trustees must be mentioned in the Trust Deed.

3. The Trust Deed must provide that the Trustees shall take into their custody, or under their control all the capital property of the schemes of the Mutual Fund and hold it in trust for the unitholders.

4. The Trust Deed must specifically provide that unitholders would have beneficial interest in the trust property to the extent of the Trustees to act in the interest of the unitholders.

5. The Trust Deed shall provide that it would be the duty of the Trustees to act in he interest of the uniholders.

6. The Trust Deed shall provide that it is the duty of Trustees to provide or cause to provide information to unit- of the Trustees to act in the interest of the unitholders.

7 The Trust Deed shall provide that the Trustees shall appoint an Asset Management Company approved by the Board, to float schemes for the Mutual Fund after approval by the Trustees and Board, and manage the funds mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the Trust Deed and Regulations. The Trustees shall enter into an Investment Management Agreement (IMA) (hereinafter referred to as IMA) with the Asset Management Company for this purpose, and shall enclose the same with the Trust Deed.

8. MANAGEMENT OF THE AMC

Board of the company with names of the Directors, experience, qualification and profession

Names of key personnel

Proposed Organisational structure
Board of Directors of associate organisations, companies and subsidiaries

IN CASE AMC IS AN EXISTING COMPANY

(1) NAME OF THE AMC

(2) ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE/CORRESPONDENCE ADDRESS
TELEPHONE NOS.
TELEX NOS.
FAX NOS.

(3) NAME OF THE CONTACT PERSON

(4) DATE AND PLACE OF INCORPORATION OF THE AMC

(enclose a copy of certificate of incorporation)

(5) OBJECTS OF THE AMC

(enclose copy of the Memorandum and Articles of Association)

MAIN OBJECTS

ANCILLARY OBJECTS
(the Memorandum and Articles of Association would need the approval of SEBI and necessary amendments shall have to be incorporated in the existing Memorandum and Articles of Association)

(6) CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

(as of the latest date)

NET WORTH OF THE OMPANY

(as of the latest date)

TO BE REPRESENTED BY

(7) PRESENT LINE(S) OF BUSINESS ACTIVITIES NUMBER OF YEARS IN THAT LINE

(8) CONDENSED FINANCIAL INFORMATION AS PER ANNEXURES IIIA and IIIB

(enclose balance sheet and profit and loss account for THREE years)

(9) ACCOUNTING POLICIES

(furnish description of significant accounting policies)

(10) SYSTEMS AND PROCEDURES

(furnish description of systems and procedures in the company and essential internal controls in order to carry on the business of the company)

(11) NAMES OF THE ASSOCIATE ORGANISATIONS GROUP COMPANIES/SUBSIDIARIES, ETC.

(12) MANAGEMENT OF THE AMC

Board of the AMC with names, experience, qualification; profession of the Directors.

Names of key personnel

Organisation structure

Board of Directors of associate organisations, companies and subsidiaries

(13) NAMES AND ADDRESSES OF THE BANKERS OF THE AMC

(14) NAMES AND ADDRESSES OF THE AUDITORS OF THE AMC

(15) COURT CASES/LITIGATIONS IN WHICH THE AMC MAY HAVE BEEN INVOLVED IN THE LAST THREE YEARS

We hereby agree and declare that the information supplied in the registration form, including the attachement sheet, is complete and true.

And we flrther agree that, we will notify the Board within one week of such change, which occurs in the information supplied after the date of the submission of the registration form.

We further agree that we shall comply with, and be bound by the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Securities and Exchange Board of India, (Mutual Fund) Regulations, 1992.

We further agree that as a condition of registration, we shall abide by such operational instructions/directives which may be issued by Securities and Exchange Board of India from time to time.

For and on behalf of ——————————

(Name of the applicant/Sponsor)

Date :

Place :

FORM B

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulation 9)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I. In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, (15 of 1992) read with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993 made thereunder the Board hereby grants a certificate of registration to———— ———————— as a Mutual Fund.

II. Registration Code for the Mutual Fund is MF/ / /

Date

By order

Sd/-

For and on behalf

Securities and Exchange Board of India

SCHEDULE IV

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulation 17)

CONTENTS OF THE INVESTMENT MANAGEMENT AGREEMENT

The Investment Management Agreement shall contain the following provisions for the duties and responsibilities of the AMC namely:

(i) the AMC appointed by the Trustees with the prior approval of the Board shall be responsible for floating schemes for the Mutual Fund after approval the fund management activity itself wtihout the funds mobilised under various schemes, in accordance with the provisions of the Trust Deed and Regulations;

(ii) the AMC shall not undertake any other business activity other than management of Mutual Funds and such other activities as financial services consultancy exchange of research and analysis on commercial basis as long as these are not in conflict with fund management activity itself without the prior approval of the Trustees and Board;

(iii) the AMC shall invest the funds raised under various schemes in accordance with the provisions of the Trust Deed and the Regulations;

(iv) the AMC shall not acquire any of the assets out of the scheme property which involves the assumption of any liability which is unlimited or which may result in encumbrance of the scheme property in any way;

(v) the AMC shall not give or guarantee loans or take up any activity in contravention of the Regulations;

(vi) no loss or damage or expenses incurred by the AMC or Officers of AMC or any person delegated by the AMC, shall be met out of the Trust property;

(vii) the AMC shall ensure that no application form, or sales literature or other printed matter issued to prospective buyers, or advertisement, or report and or announcement (other than an announcement of prices or yields) addressed to the general body of unitholders, or to the public, or to the press or other communications media, is issued or published without the Trustees' prior approval in writing, and contains any statement or matter extraneous to the Trust Deed or Officer Document scheme particulars approved by the Trustees and Board;

(viii) the AMC shall disclose the basis of calculating the repurchase price and Net Asset Value (hereinafter referred to as NAV) of the various schemes of the fund in the scheme particulars and disclose the same to the investors at such intervals as may be specified by the Trustees and Board;

(ix) the Trustees shall have the right to obtain from the AMC all information concerning the operations of the various schemes of the Mutual Fund managed by the AMC at such intervals and in such a manner as required by the Trustees to ensure that the AMC is complying with the provisions of the Trust Deed, and Regulations;

(x) the AMC shall submit quarterly report on the functioning of the schemes of the Mutual Fund to the Trustees or at such intervals as may be required by the Trustees or Board;

(xi) the Trustees shall have the power to dismiss the AMC under the specific events only with the approval of Board in accordance with the Regulations.

SCHEDULE V

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulation 28)

ADVERTISEMENT CODE

1. An advertisement shall be truthful, fair and clear and shall not contain a statement, promise or forecast which is untrue or misleading.

2. An advertisement shall be considered to be misleading if it contains —

(a) Misleading Statements:—Representations made about the performance or activities of the mutual fund in the absence of necessary explanatory or qualifying statements, and which may give an exaggerated picture of the performance or activities, than what it really is.

(b) An inaccurate portrayal of a past performance or its portrayal in a manner which implies that past gains or income will be repeated in the future.

(c) Statements promising the benefits of owing units or investing in the schemes of the Mutual Funds without simultaneous mention of material risks associated with such investments,

3. The advertisement shall not be so designated in content and format or in print as to be likely to be misunderstood, or likely to disguise the significance of any statement. Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by omission may mislead the investor.

4. The sales literature may contain only information, the substance of which is included in the Funds' current advertisements in accordance with this Code.

5. Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the investors. As the investors may not be sophisticated in legal or financial matters, care should be taken that the advertisement is set fortht in a clear, concise, and understandable manner. Extensive use of technical or legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the investors should be avoided.

6. The advertisement shall not contain information, the accruacy of which is to any extent dependent on assumptions.

7. The advertisement shall not compare one Fund with another, implicitly or explicitly, unless the comparison is fair and all information relevant to the comparison is included in the advertisement.

8. The Funds which advertises yield must use standardised computations such as annual dividend on face value, annual yield on the purchase price, and annual compounded rate of return.

9. Mutual Funds shall indicate in all advertisements, the names of the Settlor, Trustee, Manager and or Financial Advisor to the Fund, bringing out clearly their legal status and limited liability of these entitles, disinction between each of them, both legally and in terms of their functions, responsibilites and obligations.

10. All advertisements shall also make a clear statement to the effect that all Mutual Funds and securities investments are subject to market risks, and there can be no assurance that the Fund's objectives will be achieved.

11. If however, in any Advertisement a Mutual Fund guarantees or assures any minimum rate of return or yield to prospective investors, resources to back such a guarantee shall also be indicated.

12. If any existing Mutual Fund indicates the past performance of the Fund in advertisements, the basis for computing the rates of return /lied and aadjustments made (if any) must be expressly indicated with a statement that, such information is not necessarily indicative of future results and may not necessarily provide a basis for comparison with other investments.

SCHEDULE VI

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(Regulation 41)

RESTRICTIONS ON INVESTMENTS

1. Debt instruments should be rated as investment grade by a credit rating agency :

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Asset Management Company should be taken for investments.

2. No term loans for any purpose may be advanced by Mutual Funds.

3. Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unquoted debt instruments shall not respectively exceed ten per cent of the totol assets of the scheme in case of growth schemes, and forty per cent of the total assets of the relevant scheme in case of income schemes.

4. No individual scheme of the Mutual Fund should invest more than five per cent of its corpus in any one company's shares.

5. No Mutual Fund under all its schemes should own more than five per cent of any company's paid up capital carrying voting rights.

6. No Mutual Fund under all its schemes taken together should invest more than ten per cent of the funds in the shares, debentures or other securities of a single company.

7. No Mutual Fund under all its schemes taken together should invest more than fifteen per cent of its funds in the shares and debentures of any one industry :

Provided that this provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the Officer letter.

8. Transfers of investments from one scheme to another scheme in the same Mutual Fund shall be allowed only if,—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the scheme to which such transfer has been made.

9. No scheme shall invest in or lend to another scheme under the same Asset Management Company.

10. Mutual Funds shall not be allowed to borrow funds to finance its investments.

11. The initial issue expenses in respect of any scheme may not exceed six per cent of the funds raised under that scheme.

12. Notwithstanding anything contained in paragraphs 1 to 12, the total expenses charged to the fund, except the initial issue expenses, shall not exceed three per cent of the weekly average net assets outstanding during the accounting year.

SCHEDULE VII

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(Regulation 54)

ANNUAL REPORT

1. Annual Report

The annual report shall contain—

(i) Report of the Board of Trustees on the operations of the various schemes of the fund and the fund as a whole during the year and the future outlook of the fund;

(ii) Balance Sheet and Revenue Account in accordance with paras 2 and 3 respectively of this schedule;

(iii) Auditor's Report in accordance with the paragraph 4 of this Schedule;

(iv) Brief statement of the Board of Trustees on the following aspects, namely :—

(a) Liabilities and responsibilities of the Trustees and the Settlor;

(b) Investment objective of each scheme;

(c) Basis and policy of investment underlying the scheme;

(d) If the scheme permits investment partly or wholly in shares, bonds, debentures and other scripts or securities whose value can fluctuate, a statement on the following lines: "The price and redemption value of the units, and income from them, can go up as well as down with the fluctuations in the market value of its underlying investments."

(v) Statement giving relevant perspective historical 'per unit' statistics in accordance with paragraph 5 of this schedule;

(v) Statement on the following lines;

"On written request, present and prospective unit holders/investors can obtain copy of the trust deed, the annual report and the text of the relevant scheme."

2. Contents of Balance Sheet

(i) The Balance Sheet shall give schemewise particulars of its assets and liabilities. These particulars shall contain information enumerated in Annexures 1A and 1B hereto. It shall also disclose, inter-alia, accounting policies relating to valuation of investments and other important areas.

(ii) If investments are carried at costs or written down cost, their aggregate market value shall be stated separately in respect of each type of investment, such as equity shares, preference shares, convertible debentures lsted on recognised stock exchange non-convertible debentures or bonds further differentiating between those listed on recognised stock exchange and those privately placed.

(iii) The Balance Sheet shall disclose under each type of investment the aggregate carrying value and market value of non-performing investments. An investments shall be regarded as non-performing if it has provided no returns in the form of dividend or interest for more than 2 years as at the end of the accounting year of the mutual fund.

(iv) The Balance Sheet shall indicate the extent of provision made in the Revenue Account for the depreciation/loss in the value of non-performing investments.

(v) The Balance Sheet shall disclose the pre-unit net-asset value (NAV) as at the end of the accounting year.

(vi) As in case of companies, the Balance Sheet shall give against each item, the corresponding figures as at the end of the preceding accounting year.

3. Contents of Revenue Account

(i) The Revenue Account shall give schemewise particulars of the income, expenditure and surplus of the mutual fund. These particulars shall contain information enumerated in Annexure 2 of this schedule.

(ii) If profit on sale of investments shown in the Revenue Account includes profit/loss on inter-scheme transfer of investments within the same mutual fund the aggregate of such profit recognised as realised, shall be disclosed separately without being clubbed with the profit/loss on sale of investments to third parties.

(iii) Accounting policy in respect of recognition of revenue and income from investments (including dividend and interest) should be disclosed.

(iv) Unprovided depreciation in value of investments representing the difference between their aggregate market value and their carrying cost shall be disclosed by way of a note forming part of the Revenue Account. Conversely, unrealised profit on investment representing the difference between their aggregate market value and carrying cost, shall be disclosed by way of note to accounts. The Revenue Account shall indicate the appropriation of surplus by way of transfer to reserves and dividend distributed.

(v) The Balance Sheet and the Revenue Account shall be signed by schemewise fund manager/s and the Board of Trustees. [refer note (iv) to Annexure 2].

4. Auditor's Report

(i) All mutual funds shall be required to get their accounts audited in terms of the provisions to that effect in their trust deeds. The Auditor's Report shall form a part of the Annual Report. It should accompany the Abridged Balance Sheet and Revenue Account. The auditor shall report to the Board of Trustees and not to the unit holders.

(ii) The auditor shall state whether :

(1) he has obtained all information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, were necessary for the purpose of his audit.

(2) the Balance Sheet and the Revenue Account are in agreement with the books of account of the fund.

(iii) The auditor shall give his opinion as to whether :

(1) The Balance Sheet gives a true and fair view of the schemewise state of affairs of the fund as at the balance sheet date, and

(2) the Revenue Account gives a true and fair view of the schemewise surplus/deficit of the fund for the year/period ended at the balance sheet date.

5. Perspective Historical per Unit Statistics

(1) This statement shall disclose the following schemewise per unit statistics for the past 3 years :

(a) net assets value, per unit;

(b) gross income per-unit broken up into the following components:

(i) income other than profit on sale of investment, per unit;

(ii) income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit;

(iii) income from profit on sale of investment to third party, per unit;

(iv) transfer to revenue account from past year's reserve per unit.

(c) aggregate of expenses, write off, depreciation, amortication and charges, per-unit; indicating separately tisation and charges, per-unit; indicating separately per unit;

(d) net income, per unit;

(e) unrealised appreciation/unprovided depreciation in value of investments, per unit;

(f) if the units are traded or repurchased/resold, the highest and the lowest prices per unit during the year and the price-earning ratio.

ANNEXURE 1A

(refer para 2)

CONTENTS OF SCHEMEWISE BALANCE SHEET

I. ASSET SIDE OF THE BALANCE SHEET :

The assets of the balance sheet shall be grouped into the following categories :

— Investment
— Deposits
— Other Current Assets
— Fixed Assets
— Deferred Revenue Expenditure

II. INVESTMENTS :

The following types of investment shall be separately disclosed at their aggregate carrying amount :

(i) Equity shares;

(ii) Preference shares;

(iii) Privately placed debentures/bonds;

(iv) Debentures and Bonds listed/awaiting listing on the

recognised stock exchange;

(v) Calls paid in advance;

(vi) Term Loans;

(vii) Central and State Government Securities (including treasury bills);

(viii) Commercial Paper;

(ix) Others;

— Accounting policy of valuation of investments should be disclosed.

— If investments are carried at cost or written down cost their aggregate market value shall be stated separately in respect of each of the above type of investments.

— Aggregate carrying amount and market value of non-performing investments shall be disclosed separately under each type of investment. Investment shall be regarded as non-performing if it has produced no returns of dividend or interest for more than two years as at the end of the accounting year of the mutual fund.

III. DEPOSITS

Distinguishing between :

— Deposits with scheduled banks;
— Deposits with Companies/Institutions;
— Others;

IV. OTHER CURRENT ASSETS

Distinguishing between ::

— Balances with banks in current account;
— Cash on hand;
— Sundry Debtors,
— Contracts for sale of investments;
— Outstanding and accrued income;
— Advance, Deposits, etc.;
— Bridge Finance;
— Shares/debentures application money, pending allotment;
— Others;

V. FIXED ASSETS

Distinguishing between :

— Leasehold land;
— Freehold land;
— Office buildings and premises;
— Furniture and Fixtures and office equipment;
— Other assets;

Cost (gross block), depreciation, book value (net block), additions and deductions during the year should be disclosed separately for each above type of fixed assets on the same lines as under Part I of Schedule VI of the Companies Act, 1956.

VI. DEFERRED REVENUE EXPENDITURE

— Distinguishing between opening balance, amount written-off during the year, amount deferred to subsequent years.

— Accounting policy on treatment of expenses as deferred revenue expenditure and their write-off should be disclosed.

ANNEXURE 1B

(refer para 2)

CONTENTS OF SCHEMEWISE BALANCE SHEET

LIABILITIES SIDE OF THE BALANCE SHEET

Liabilities side of the balance sheet be divided into the following groups :

(i) Unit Capital ;

(ii) Reserves and Surplus ;

(iii) Loans ;

(iv) Current Liabilities and Provisions ;

II. UNIT CAPITAL

Distinguishing between

— Initial capital ;

— Unit capital (including number of units and face value per-unit).

III. RESERVES AND SURPLUS

Distinguishing between

— Unit premium reserve ;

— General Reserve relating to initial capital ;

— General Reserve relating to unit capital ;

— Dividend equalisation reserve ;

— Any other reserve (disclosing its nature) ;

— Appropriation account ;

— If any provision is made during the year for loss in the value of any investments by debiting to unit premium reserve, the aggregate of such provision shall be disclosed separately with respect to each type of investment.

— Opening balance, transfer from/to reserve, closing balance shall be separately disclosed from each type of reserve.

IV. LOANS

Distinguishing between

— Loss from Reserve Bank of India ;

— From Settlor ;

— From Other Commercial Banks ;

— From others ;

If the above loans are secured, the nature and extent of security should be disclosed ;

V. CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Distinguishing between the following current liabilities and provisions

CURRENT LIABILITIES :

— Sundry creditors ;

— Interest payable on loans ;

— Contract for purchase of investments ;

— Bank account overdrawn as per books ;

— Unclaimed distributed income ;

— Others ;

PROVISIONS :

— Provision for loss/depreciation in value of investments (separately with reference to each type of investment) ;

— Provision for doubtful deposits ;

— Provision for outstanding and accrued income considered doubtful ;

— Provision for gratuity ;

— Provision for staff welfare fund ;

— Proposed income distributed on initial capital and unit-capital ;

— Other provisions ;

ANNEXURE 2B

(refer para 3)

CONTENTS OF REVENUE ACCOUNT

— Dividend;
— Interest;
— Profit on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);
— Profit on inter-scheme transfer/sale of investments;
— Other income (indicating nature);

EXPENSES AND LOSSES

— Provision for depreciation in value of investments;
— Provision for outstanding accrued income considered doubtful;
— Provision for doubtful deposits and current assets;
— Loss on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale);
— Loss on inter-scheme transfer/sale of investments;
— Management fees;
— Trusteeship fees;
— Staff cost including salaries, allowances, contributions to Provident Fund, Gratuity, etc.;
— Office and administrative expenses,
— Registration and local charges;
— Commission to Agents;
— Publicity expenses;
— Audit fees;
— Other operating expenses;
— Deferred revenue expenses written off;
— Depreciation of fixed assets;

Less: Amount recovered on sale of units on account of management expenses;

NOTE:

(i) Accounting policy in respect of recognition of revenue and income from investments (including dividend and interest) shall be disclosed by way of a note.

(ii) Unprovided depreciation and unrealised appreciation in value of invesments representing the difference between their aggregate market value and their carrying cost shall be disclosed by way of note.

(iii) Appropriation of the surplus by way of transfer to reserves and dividends distributed shall be disclosed in the Abridged Revenue Account itself.

(iv) The Balance Sheet and the Revenue Account shall be signed by the schemewise fund manager/s and the Board of Trustees, and reported by the Auditors.

SCHEDULE VIII

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(MUTUAL FUND) REGULATIONS, 1993

(regulation 58)

HALF YEARLY FINANCIAL RESULTS

Contents of Summary Advertisement of Abridged Balance Sheet .....Mutual Fund.

BALANCE SHEET OF.....AT AT .....

NAMES OF THE VARIOUS SCHEMES

(Rupees in Lakhs)

LIABILITIES	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year
1. Unit Capital							
2. Reserves & Surplus							
2.1 Unit Premium Reserves							
2.2 Other Reserves							
3. Loans & Borrowings							
3.1 From Banks							
3.2 From Others							
4. Current Liabilities & Provisions							
4.1 Provision for loss/depreciation in value of Investment							
4.2 Provisions for doubtful Income/ Deposits;							
4.3 Proposed Income Distribution							
4.4 Other Current Liabilities & Provisions							
TOTAL							

	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year
ASSETS							
1. Investments*							
1.1 Equity & Preference Shares							
1.2 Privately Placed Debentures/Bonds							
1.3 Debentures & Bonds Listed/Awaiting Listing on recognised Stock Exchange							
1.4 Term Loans							
1.5 Government Securities							
1.6 Others							
2. Deposits							
2.1 With Scheduled Banks							
2.2 With Others							
3. Other Current Assets							
3.1 Cash & Bank Balance							
3.2 Others							
4. Fixed Assets (At Depreciated Value)							
5. Deferred Revenue Expenditure (to the extent not written off)							
TOTAL							

Note*: 1. Accounting Policy of valuation of investments should be disclosed.

2. If investments are carried at cost or written down cost their aggregate market values should be stated separately in respect of each of the above type of investments.

3. Aggregate carrying amount and market value of non-performing investments should be disclosed separately under each type of investment. Investment should be regarded as non performing if it has produced no returns of dividend of interest for more than two years as at the end of the accounting year of the mutual fund.

ANNEXURE 9'B'

Contents of Summary Advertisement of Abridged Revenue Account
Mutual Fund

Revenue Account for the year/period ended.....

(Rupees in lakhs)

Income	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
1.1 Dividend								
1.2 Interest								
1.3 Profit on sale/redemption of investments (other than inter scheme transfer/sale);								
1.4 Profit on inter-scheme transfer/sale of investments								
1.5 Other income (indicating nature)								
2. Expenss & Losses								
2.1 Management, Trusteeship, Administrative & other operating expenses								
2.2 Provision for Depreciation/Losses in value of Investments								
2.3 Provision ofor doubtful Income								
2.4 Provision for doubtful Deposits/Current Assets								
2.5 Lost on sale/redemption of investments (other than inter-scheme transfer/sale)								
2.5 Loss on inter-scheme transfer /sale of investments.								
TOTAL								

Other Contents of Advertisement of Abridged Financial Results

1. Auditors Report

2. Perspective Historical Per Unit Statistics disclosing the following schemewise per unit information for past eight years :

(a) net assets value, per unit ;

(b) gross income per-unit broken up into the following components :

(i) income other than profit on sale of investment, per unit ;

(ii) income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit ;

(iii) income from profit on sale of investment to third party, per unit ;

(iv) transfer to revenue account from past years' reserve, per unit ;

(c) aggregate of expenses, write off, depreciation, amortisation and charges, per-unit ; indicating separately provision for depreciation in value of investments, per unit ;

(d) net income, per unit ;

(e) unrealised appreciation/unprovided depreciation in value of investments, per unit ;

(f) if the units are traded or repurchased/resold, the highest and the lowest prices per unit during the year and the price-earning ratio ;

3. A note to the effect that, on request, a unit-holder can obtain from the mutual fund a copy of the Annual Report of the scheme in which he has invested.

[F. No. SEBI/LE/93/IV]

G. V. RAMAKRISHNA, Chairman
Securities and Exchange Board of India

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993